(1) STATUTORY RESOLUTION SEEK- I 1NG DISAPPROVAL OF TIIE ARMS (AMENDMENT) ORDINANCE, 1983 (NO. 4 OF 1983) PROMULGATED BY THE PRESIDENT ON THE 22ND JUNE, 1983

(2) THE ARMS (AMENDMENT) BILL, 1983

MR. DEPUTY CHAIRMAN; Now, we shall take up the statutory Resolution and the Bill. Shri Mathur.

श्री जगदीश प्रसाद माथुर (उत्तर प्रदेश) : मैं आपकी अनुमति से संकल्प करता हूं कि :

"यह सभा 22 जून, 1983 को राष्ट्रपति द्वारा प्रख्यापित आयुध (संशोधन) अध्यादेश, 1983 (1983 की संख्या 4) का निरनुमोदन करती है ।"

श्रीमन, यह अध्यादेश जिसको वह एक्ट के रूप में परिवर्तित कर रहे हैं, इसकी भावना से मैं सहमत हूं, लेकिन जिस भावना से यह विधेयक रखा गया है, उसको पूरे तौर से पूरा नहीं करता । मुख्यतः कि अध्यादेश इस दृष्टि से जारी किया गया था कि हथियारों का दुरुपयोग हो रहा है, झंझट-झगड़े उभर रहे हैं । अच्छा होता यदि इसके साथ यह जानकारी दी जाती कि जब से अध्यादेश जारी किया गया, जून में, उसके बाद दुरुपयोग की कितनी दुर्घटनाएं हुई हैं और सरकार ने उस दुरुपयोग को रोकने के लिए क्या-क्या कार्यवाही जून से लेकर अब तक की है और मैं समझता हूं कि मंत्री महोदय इस बात की व्याख्या करेंगे जिससे विधेयक तीव्रपूर्वक न रखकर अध्यादेश के द्वारा लाया गया था ?

जब मैं कहता हूं कि यह उन आवश्यकताओं को पूरा नहीं करता, जिन आवश्यकताओं की दृष्टि से यह अध्यादेश जारी किया गया था, तो मेरा कथन दो प्रकार की चीजों से है । इसमें बार-बार यह कहा गया था कि जो डिस्टर्बड एरियाज है, उसमें विशेष व्यवस्था की जानी चाहिए, व्यवस्था उसकी रोकथाम की होनी चाहिए । उसमें कोई दो मत नहीं हो सकते हैं । लेकिन मंत्री महोदय ने इसमें एक वृद्धि की है, यह जो बताया है कि जो लाइसेंसड हथियार हैं, उनको न रखा जाए, न लाया जाए, उनको जप्त कर लिया जाए, लेकिन मैं पूछना चाहूंगा कि जो डिस्टर्बड एरियाज में हथियारों का उपयोग प्रायः होता है, सब जानते है कि वह प्रायः अनलाइसेंसड होते हैं, लाइसेंस्ड नहीं होते । तो अनलाइसेंस्ड हथियारों का उपयोग डिस्टर्बड एरियाज में और सामान्य स्थिति में होता है, इसका अंतर कोई भी रखा नहीं गया है । इस बात का अन्तर होना चाहिए था । तीन साल की सजा लगभग रखी गई है कि कोई बिना लाइसेंस हथियार रखता है, तो तीन साल की सजा होती है । यह तीन साल की सजा बहुत कम होती है, लेकिन आवश्यकता अब इस बात की है कि अब जब डिस्टर्बड एरियाज में दुरुपयोग के लिये हथियारों को रोक रहे हैं, तो जो डिस्टर्बड एरियाज में, खास तौर से अनलाइसेंस्ड हथियार का उपयोग करता है, उसके लिए तीन साल की सजा बहुत कम है, ज्यादा होनी चाहिए ।

तो मेरा कहना यह है कि जो आवश्यकता आपने दिखाई है, उसको पूरा ही नहीं किया गया है ।

दूसरा बिंदु जिस पर मैं इसका विरोध करना चाहता हूं वह यह है कि आज हमारे यहां जो झगड़े हो रहे हैं, वह विभिन्न प्रकार के हो रहे हैं और उन झगड़ों में विदेशियों का भी हाथ है—

यह सन्देह सरकार को भी है और जनता को भी है। उन झगड़ों के अंदर किन हथियारों का प्रयोग होता है ? श्रीमन, जो लाइसेंस वाले हथियार हैं, उनका उपयोग नहीं होता है केवल, उनका भी उपयोग नहीं होता ऐसे अनलाइसेंस्ड हथियार जो इस देश में बनते हैं। ऐसे हथियार पकड़े गये हैं प्रायः जिनका कि विदेशों से आगमन हुआ है। उन हथियारों के लिए आपने कुछ नहीं कहा, जो विदेशों से स्मगल्ड हथियार हैं, उनके लिये आपने और विशेषतया आज के झगड़ों के अन्दर इस्तेमाल होते हैं, उनके बारे में कुछ कहा ही नहीं है। जो स्मगल्ड हथियार हैं, उनके लिए केवल जो पुराना कानून है कस्टम्स एक्ट, 1962 का, वही लागू होता है। कस्टम्स एक्ट तो उन पर लागू होगा जो, श्रीमन्, स्मगलिंग करते हुये पकड़ लिया जाये, या हवाई-जहाज से लाते पकड़ लिये जाएं।

लेकिन हम जानते हैं कि पाकिस्तान के साथ हमारा बार्डर मिला हुआ है, बंगला देश के साथ मिला हुआ है, चीन के साथ मिला हुआ है, यहां पर ऐसे हथियार हैं, और ऐसे तत्व हैं जो राजनीतिक, अराजनीतिक इतर उद्देश्यों के लिए भी हथियारों का गैर-कानूनी तौर से खरीदो-फरोख्त करते हैं। उसके लिए आपने कुछ कहा ही नहीं है।

तो मेरा, श्रीमन्, आप से निवेदन यह है कि अब न सही, बाद में जो स्मगल्ड हथियार हैं, जिनका उपयोग वास्तव में शांति को भंग करने के लिए किया जा रहा है और ऐसे तत्व जो उनको उपयोग करते हैं, उनके लिये सजा की कहीं व्यवस्था नहीं है। उसके लिए कठोर से कठोर सजा दी जानी चाहिए।

दूसरे, मेरा आग्रह यह है कि 24(बी) के अन्दर व्याख्या की गई है कि जहां डिस्टर्बंड एरियाज हैं, आदि, आदि, वहां पर सब घोषित कर दिया है, वहां किसी पब्लिक प्लेसेज में हथियार नहीं रखे जायेंगे, उन पर बंधन होगा, आदि, आदि। उन पर बन्धन होगा आदि-आदि। लेकिन पब्लिक प्लेसेज की व्याख्या की

'Public place' means any place intended for use by, or accessible to, the public or any section of the public;

बात सही है। मोटे तौर से इसमें धर्म स्थान के लिये कहते वह आ सकता है। लेकिन आज हमें मालूम है कि धर्मस्थानों का दुरुपयोग हो रहा है खुल्लमखुल्ला। तो सरकार को चाहिये कि वह कहे कि सार्वजनिक स्थान का मतलब उन स्थानों से भी है जहां पूजा पाठ होता है, धर्मस्थान हैं। उसका क्लेरिफिकेशन होना चाहिए। लेकिन शायद मंत्री महोदय यह कह सकते हैं कि जो पूजा के स्थान हैं पब्लिक प्लेसेज हो होंगे, लेकिन आज की विशेष स्थिति के अन्दर इसका स्पष्टीकरण होना चाहिए। मैं संशोधन के तौर पर नहीं रख रहा हूं, लेकिन मंत्री महोदय से आग्रह करूंगा कि व्याख्यान देते समय इसकी परिभाषा करते समय कहें कि पब्लिक प्लेसेज का अर्थ मन्दिर, गुरुद्वारा, मसजिद, गिरजा सब हैं, इन का दुरुपयोग हम नहीं करने देंगे।

एक बात कह कर मैं समाप्त करूंगा। मेरी समझ में नहीं आया कि आप ने मजिस्ट्रेट की व्याख्या क्यों बदली। आपने सेक्शन 3 के अन्दर कहा है—

"Magistrate means an Executive Magistrate under the Code of Criminal Procedure, 1973."

[श्री जगदीश प्रसाद माथुर]

आप एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट क्यों कहते हैं ? इसका मतलब है अगर मजिस्ट्रेट हो, एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट न हो तो वह हाई कोर्ट के अधीन आता है, एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट का मतलब है हाई कोर्ट के अधीन नहीं है, वह सीधा-सीधा सरकार के अधीन है। तो सरकार या वहां के अधिकारी या मंत्री उन से जो चाहे करा सकते हैं। इस बात का मैं विरोध करता हूं। जो व्याख्या पहले थी वही रहनी चाहिए और एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट का परिवर्तन नहीं किया जाना चाहिये।

इन थोड़े से बिन्दुओं के साथ, जैसा मैंने पहले कहा, मैं इस विधेयक की भावना का समर्थन करता हूं, लेकिन इस को दो-तीन विषयों में जो मैंने रखे हैं स्मगलिंग के सम्बन्ध में, डिस्टर्ब्ड एरिया के बारे में, पब्लिक प्लेसेज के बारे में और कठोर किया जाना चाहिए। इतना कह कर मैं अपनी बात समाप्त करता हूं।

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF HOME AFFAIRS (SHRI NIHAR RANJAN LASKAR): Sir, I beg to move:

"That the Bill further to amend the Arms Act, 1959, as passed by tho Lok Sabha, be taken into consideration."

Sir, the House would recall that in order to check the increasing use of both unlicensed and licensed firearms in commission of crime and in other antisocial and anti-national activities, a$_n$ Arms (Amendment) Bill, 1981 was introduced in this House on 24th August, 1981. And the Bill was passed by the Rajya Sabha on 8th September, 1981 and was laid before the Lok Sabha on 10th September, 1981. In the meanwhile a number of suggestions for further amendment of the Bill were received from Members of Parliament anjl also from other quarters. These suggestions were examined m depth in consultation with various agencies and revised proposals were finalised for moving necessary amendments to the Bill pending in the Lok Sabha. However, the trend of events in certain parts of the country was such that there was an imminent danger of extensive disturbance of public peace and tranquility and it, therefore, became necessary to carry out the amendment proposals through promulgation of an Ordinance. The Ordinance was promulgated, as you all know, by the President on 22nd June, 1983. The present Bill seeks to replace that Ordinance.

Sir, at this stage, I would like to highlight some of the important aspects of the present Bill. This Bill provides for all the amendments contained in the earlier Arms (Amendment) Bill, 1981 as passed by Rajya Sabha, subject to some changes aimed at making the punishment for certain offences more stringent and some changes of verbal and consequential nature. Some new provisions have also been added to prohibit possession and carrying of arms in disturbed areas. So, in fact, we have included your suggestion in this particular Bill.

Unlicensed firearms: To deal effectively with the menace of illicit firearms, a provision has been made for significant enhancement in punishment for offences involving illicit firearms, also with a provision for a minimum period of imprisonment. So, we have fixed a minimum period of imprisonment. Illicit manufacture and sale of firearms without licence is proposed to be made punishable with imprisonment upto seven years and fine, with a minimum punishment of threo year$_s$ imprisonment, compared to th« earlier provision of upto three yean imprisonment or fine or both. *(Interruptions)* . So, I think the point Mr. Mathur was making is covered.

Similar penalty is proposed for nnlaW-fnl possession of prohibited arms and ammunition and illicit import and export of prohibited categories Acquisition,

pppssesssion and carrying of firearm$_s$ without a valid licence iji proposed to be made punishable with $_a$ minimum punishment of six month$_s$ imprisonment and a maximum of three years and with fine.

Similar punishments have been proposed against the arms manufacturers and dealers who maintain false accounts or fail to maintain accounts at all.

Sir, I would like to mention some J other measures proposed to curb the involvement of licensed firearms in crime. At present there is no ceiling on the possession of firearms. This is the position tod-iy. It is prcpcccd to introduce a ceiling of three firearms per person, with certain exceptions like firearms dealers or members of a recognised and licensed rifle club or rifle association etc. It is also proposed to raise the eligibility aje for possession of firearms from sixteen to twentyone years.

To ensure proper screening of the applicants, provision has been made making it obligatory for the licensing authority to obtain a police report. At the same time, to avoid unnecessary delay it» the issue of licences in genuine and deserving cases a time limit is being prescribed for submission of police report and if the report *h* ^{no}t received within the prescribed time limit the licensing authority would be free to decide the matter without police report.

Sir, we have come across instances of large scale use of arms in group clashes and in mass agitations. To deal with such extraordinary situations wo have proposed two new provisions. Through the new section 24A, power is being invested in the Government to prohibit the possession of firearms and other notified arms in disturbed areas for $_a$ specified period and to order everyone to deposit the firearms and other arms with police stations. By the new section 24B provision has been made to prohibit carrying of specified arms in public places for a specified period. Contravention of these provi-"ould be punishable with minimum imprisonment of on<" ye^r. which may extend upto five years and also to fine.

Sir, I have highlighted some of the important provisions of the Amendment Bill. I hope that the hon. Members would support these amendments and the House will kindly consent to it.

Sir, with these few words, I commend the Bill to the House for consideration.

The Questions were proposed.

MR. DEPUTY CHAIRMAN; There are two amendments for reference of the Bill to the *Select* Committee. Mr. Shiva Chandra Jha first.

SHRI SHIVA CHANDRA JHA (Bihar); Sir, I move.

"That the Bill further to amend the Arms Act, 1959, be referred to a Select Committee of the Rajya 9abha consisting of the following members, namely:—

1. Shri R. R. Morarka
2. Shri Biswa Goswami
3. Shri Shridha$_r$ Wasudeo Dhabe
4. Prof. Soureadra Bhattacharjee
5. Shri G. C. Bhattacharya
6. Shri Suraj Prasad
7. Shri Rameshwar Singh
8. Shri Nepaldev Bhattacharjee
9. Shri Dipen Ghosh
10. Shri Hari Shankar Bhabhra
11. Shri Kalraj Mishra
12. Shrimati Mohinder Kanr
13. Shri Shiva Chandra Jha

with instructions to report by the first week of the next Session."

MR. DEPUTY CHAIRMAN; There is another amendment by Shri Suraj Prasad.

SHRI SURAJ PRASAD (Bihar): Sir, I move;

"That the Bill further to amend the Arms Act, 1959, be referred to a Select Committee cf the Rajya Sabha •consisting of the following members, namely;

1. Shri Shiva Chandra Jha
2. Dr. Mahab/j- Prasad
3. Dr. Bhai Mahavir
4. ingh
5. Shri Satya Pal Malik
6. Shri Ramanand Yadav
7. Shrimati Usha Malhotra
8. Shri Suraj Prasad
9. Shri Dipen Ghosh

with instructions to report by the first week of the next Session,"

The questions were proposed.

MR. DEPUTY CHAIRMAN; The Resolution, the Bjll and the amendments will all be discussed together.

SHRI GHANSHYAMBHAI OZA (Gujarat): Sir, we have been examining so many Bills which are brought forward by the Government on so many subjects. But I must admit that if any Bill has depressed me so much, it is this Bill. From what heights to what depths our society has sunk! We remember, before freeH~a, when-Gandhiji; started •tire -freedom. _,,Jggle, he formulated 14 points, one of which was that all the citizens of this country shall be able to carry, firearms without any licence. This was one of the 14 points. I know that when the Constitution was adopted, we had a second look st. that and we thought that constituted as we were, at that time, subsequent to the formulation of the 14 points by Gandhijj, we do require some legislation for licensing firearms. With that I have no quarrel. But, Sir, in any society, what is the first responsibility of a Government? It is to maintain law and order; then only other things come, like welfare activities and so many other things. I do not want to go into the details of what the Government should do and what the Constitution has, in its Preamble, accepted. But so far as law and order is concerned, why have we come to live in a so iag in jungle?. Human be. ings came to form a society In order to have law and order, to protect their life and property. But to what depth have we sunk in this country!

It is by the Governmc. hon. Minister has also said that the trend of recen; coun minent danger of sturbaijce of public peace, and tranquility. even the law and order, for which T have joined the society, is disturbed.

Let us leave it apart. But is this Legislation going to be effective? Who respects the law? Sir, after all, who will abide by this legislation? Law is for people who have got regard for it and feel that this is the legislation of the country and as good conscientiuus citizens, we c abide by the provisions of law. Then there is thvi deterrent aspect. We know, every legislation has so many aspects, including the deterrent aspect, •that a legislation must have a deterrent asp;-those who are afraid of law will know that if they do not abide by certain provisions of law, they vvjlj be punished. But is this legislation going to help people who respect law?. These people do not need a legislation. But those who are not afraid of law nowadays, what is this legislation going to do? So. don't under any complacency. This legislation is not going to help you in giving peace and tranquility which is badly needed by the Indian society today. Do you thjnk that persons who are carrying unlicensed arms, will be deterred by this legislation, by the stringent punishment you have provided for it? . Not at all. It will only deter law-abiding citizens and they will not be able to protect themselves under this legislation. And these goondas, th« anti-social elements in the society will care two hoots for this legislation, and they will all the same, in spile of the legislation—no doubt, the stringent punishment—will go on carrying these unlicensed arms....

SHRI SANKAR PRASAD MITRA (West Bengal); And pipe-guns.

SHRI GHANSHYAMBHAI OZA; So, all these things will happen. Don't be under any complacency. Sir, I have been discussing it with so many friends here and outside also. Time has come in this country to have a fundamental view, fundamental look at the whole situation. When we gained freedom, we invited all the parties to find out what sort of Constitution will suit us. Even those who were against the Congress, those who were against the Independence movement they were invited by the Congress. Ambed-kar was invited, Khusro wali invited. So many other persons were invited. Why? Because, we were giving a Constitution to the people of India. It was not the Constitution of party. Not that only one party was concerned with it. All the people of India were concerned with it. We invited all the people in regard to framing the Constitution.

In the same way, take note that time is ripe now when we should look at the problem in a fundamental manner, which are the things which will suit the genius of our *people.* What have we done since freedom to bring forward such a legislation that we cannot give even law and order to the honest and the upright citizens of this country?

Sir, there are so many provisions in this Bill which are to my mind not very fair and healthy. For example, they have said here that no person shall carry more than three firearms. You have said here 'person' and not family'. Let us say, in a family there are five persons. Do you mean to say that they can carry fifteen firearms? Let us say, a family has *iiot* five adult persons. If you say that every persons is entitled to carry three firearms, jt means, the family will have in its possession fifteen licensed firearms. Is it fair? Is it proper? After all, arms are required to protect the property of the family and the persons in the family. If every person *U* entitled to carry three fiiearms, what amount of liberty you will be giving to the particular family? Therefore. I would suggest that instead of this trord 'person', you should have an amendment and it should relate to a family.

Then, there are seme antique firearms, which are there, not necessarily used for violence. But they are kept because they have their own past. For example, there may be some valuable antique arms kept in a museum. I think, they should not be asked to deposit them. But only a note should be carried by the authorities that a particular family or a particular person bas an antique firearm which is required to be kept there. We know what is happening in our museums. So many things are being stolen. Therefore, I would suggest that we should make an exception in this regard.

Sir, we have seen the history of this legislation. It was brought forward in this House. It was passed by this House. Then, it went to the other House. Tn the meantime, some suggestions were made and the Government thought it fit to promulgate an ordinance. For preserving law and order in this country, which is the fundamental duty of the Government, ao ordinance has to be brought forward. This is a very pitiable position. I think, all conscientious person who are participating in the public life of this country should take a lej«on from this legislation. To what depths we have deteriorated as a society that we cannot Sive even protection to • the persons and the properties of the citizens of this country? Leave apart all your welfare activities. They can wait. But the fundamental duty of any Government is to provide security and to maintain law and order in the society. By enacting this legislation, do not be under any complacency that you will be able to protect innocent persons and their properties. These goondas will care a tuppence for this legislation. They will go on carrying these firarms, whether licensed or unlicensed. They will smuggle. They will do all sorts of things. Come into the interior. Come into the vilages See what is happening there. Persons who are associated with public life; in politics; their relatives; what are they doing? Why go to the interior? See what is happening in Delhi. We know mat persons who are associated with or related to people, higher-ups, in the ruling party, take law into their own hands and do anything whatever they like. Even persons whose names

[Shri Ghanshambhai Oza] appear in the newspapers that they have smuggled things, go scot free. They masquerade as leaders of the society. Their sons, though they are associated with so many kinous crimes, live in the society as respectable persons, as honourable persons. What values we are shaping in this country I do not know. After all, Gandhiji said, not sermons but an ounce of practice would do, but what $ happening today? We politicians, particularly the politicians in the ruling party—I do not say only the ruling party politicians, but all politicians —have eroded the values of public life. They have brought about this situation. Gandhiji put on *langoti* and, therefore, thousands of people renounced their career, left their study and joined him. They never cared for power and self.

And what is happening today? What precepts are you giving? What are you doing in practice? It is only because of that the people in the countryside say that they should also lead a comfortable life, ostentatious life in a way. They copy the life-style that is practised here. There is so much of unemployment and still there is so much temptation. Temptation is human in any society. There are temptations, but no society, should provide them with opportunities to fulfill the temptations against the provisions of the taw. Thar is exactly what we are doing in this country, that is why there is such a legislation. In fact, we should look down that we have to bring forward such a legislation in this nation. We have to look down, we must be ashamed of bringing forward such a legislation. It may be necessary in your view to have the stringent legislation to ran the Government, but any member of any good society would look down that such is the state of affairs in a society where this is happening. This is what I wanted to suggest.

SHRI DINESH GOSWAMI (Assam): Mr. Deputy Chairman, Sir. the hon. Minister in the statement of Objects and Reasons, in his statement and also in the Bil! has referred to the fact that the Ordinance became necessary because of the imminent danger of extensive disturbance to peace and tranquility in certain areas. Sir. I do not think smyone in thiu House will object to giving powers to the Government to meet such an imminent danger of extensive disturbance to peace and tranquility, but when I go through the Bill 1 find that there is no ' relationship whatsoever between the objects and the provisions of this Bill. The provisions of this Bill are not in any way going to help the Government in achieving the objects for which the Bill is sought to be introduced or is being discussed here. My learned friend, who preceded me, spoke about the unlicensed arms and the hon. Minister will probably agree that in many parts of this country the wave of violence that we see either in communal riots or in group clashes is not due to the use of the licensed arms, it is primarily the unlicensed arms that are displayed there. And in this Bill I do not find anything whatsoever as to how the Government proposes to tackle the problem of unlicensed arm's. It would have been better if the Government had brought forward a comprehensive Bill in which some attention was paid to the problem of unlicensed arms. I knowi that thi; problem cannot be tackled in its totality, but there is no mention! whatsoever of the unlicensed arms. In fad, the Bill to its logical conclusion may mean that the person who is holding unlicensed arms, in times of communal tension or otherwise, may be asked to deposit the same with the authorities. It may be that a person, who is a law-abiding person, may be at the mercy of ,an unlawful person who is carrying unlicensed arms but not depositing the same with the authorities concerned. The law-abiding person will deposit the unlicensed arms with the authorities, but the other person, who is having no licence for his arms, may not deposit the same with the authorities and thus the law-abiding person will be at the mercy of the other person.

Now let us have a look at the other sid$_e$ of this Bill. What is sought to be done in this Bill is thai a person will not be able to possess more than 3 firearms or ammunition. I do not understand, if" somebody wants to utilise firearms for the purpose of communal frenzy, would he require four fire-arms? Tn fact, even one firearm is enough. I do not know how many in this country can use two firearms, one with the right hand and the other with

, the left hand, what we see in the films. If a person has three firearms, he can use them in a communal frenzy. How can you restrict him from using the three firearms? How are you sure that he will not be able to use these firearms in case of a communal frenzy or a group clash? So I do not understand the logic of three. In fact, if he has a firearm and if he wants to use it, he will be able to use it.

Then look to the other flaw. This provision will come into operation after we pass this Bill. This Bill was introduced, I do not know when. Now how do you protect the transfers of firearms which are already made? As has been rightly pointed out, a person will be able to have three firearms. Even ■ if you feel that possession of three firearms is a sufficient guarantee against it, by this time all will be gifted away or sold. There is no protection against that.

The third provision which struck me as odd, which I hope the hon. Minister will look into, is in clause 5. I have not been able to understand it. Under clause 5, it is said:

> "Notwithstanding anything contained in sub-section (1), a person may, without holding a licence in this behalf, sell or transfer any arms or ammunition.. ."

This indicates that without a licence, a person can hold arms or ammuftition. But under section 3—if I have read it correctly—no ammunition can be held by any person without a licence. Section 5 contemplates a case where a person can hold ammunition or arms without a licence . Section 3 says that you cannot hold ammunition or arms without a licence. I would like to get some clarification from the hon. Minister as to why there is this contradiction, or have I slipped somewhere in pointing out this contradiction?

The other point which I would like the hon. Minister to realise is, under clause 3, supposing I want to sell a firearm, I am entitled to sell it because under clause 3, 30 days is the time limit given. May I read clause 3:

> "Provided that a person who has in his possession more firearms than three at the commencement of the Arms Act, may retain with him any three of such firearms and shall deposit, within thirty days from such commencement, the remaining firearms with the officer incharge of the nearest police station..."

So if today I have got more than 3 firearms, I have got to deposit those extra firearms with the nearest Police station within 30 days. Supposing this Act comes into operation on the 1st of September. Then within 30 days—that means in September itself—I have to deposit them, but clause 4 says that I can sell it. If you look to clause 4, I can sell it but I am to inform in writing to the District Magistrate having jurisdiction or the officer incharge of the nearest police station about my intention to sell or transfer and such sale shall not be effective unless a period of not less than forty-five days has expired after the giving of such information. I find myself in quandary. Supposing this Act comes into operation on the 1st of September. Under clause 3, I am to deposit. Let us take an instant case. Supposing I have got five firearms. I shall have to deposit two firearms within 30th of September—i.e. within a period of 30 days Now I am intending to sell it, to Mr. Jagannathrao Joshi. I inform the nearest Police station about my intention to sell the firearms. Then till 45 days have expired, I cannot sell them because the officer-mcharge may sit over my request for 45 days. What happens on the 31st day? If I keep these firearms on the 31st day, I violate clause 3. And after that, what happens in the next 15 days? After I deposit it with you, within those 15 days I am to dispose of those firearms, Without that permission, how am I going to sell them?

SHRI NIHAR RANJAN LASKAR: This provision is clear. I will clarify that.

SHRI DINESH GOSWAMI: It appears to me that within 30 days, I am to deposit. The permission may come after 45 days. So there is an unexplained period of 15 days. So why don't you make both these periods as 30 days. That will solve a lot of complications.

As has been rightly pointed out, what about antique weapons? They are not being used for purpose of any communal disturbance. But these are very valuable articles in the possession of certain persons. We know there are persons who are prepared to pay very very high prices for these antique weapons outside.

And if these things are deposited in the police station, I feel that there may be a lot of corruption. Why don't you protect the antique weapons? Secondly, what about Hie museums? Because I know there are a number of museums in the country where very old valuable weapons are being shown to the public. Do you want that all these valuable weapons should be given to the police stations? Probably they will then go in different directions. Why not protect a museum provided with sufficient safeguards that at no point of time or at no cost will these weapons will be used. This can be easily done. I do not find anything in this Act to protect the antique weapons or the museums.

I have also objection, Mr. Deputy Chairman, Sir, to clause 5. Under the existing Arms Act, no person can possess a firearms if he is not of 16 years of age. That has been increased to 21 years. I have not got much objection to that. But the second provision is that a person cannot have a firearm if tie has been sentenced on conviction of any offence involving violence or moral turpitude. Earlier it was for an imprisonment for a period of not less than six months. Now it has been made "any time"; that means, a person who once in his life-time out of impetuity may have committed an offence of moral turpitude or violence cannot possess a firearm. And violence is a very wide term. A person may be sentenced for imprisonment till the rising of the court. Such a person during his life-time cannot possess a firearm. If it is more than 6 months. I can understand, because he has committed a very serious and heinous crime.

Sometimes a man commits such an offence even under provocation. Under provocation you commit a crime, under motive impulse you commit a crime, Smd you have been sentenced only for imprisonment till the rising of the court. That means, you cannot be permitted to possess a firearm. I do not see the logic of it. I can understand that you do not allow a person to possess a firearm if he has committed some serious offence but not an offence of a minor nature. Violence under legal terminology is a very very wide term. Two persons come into fisticuffs because of certain reasons and one is sentenced for imprisonment till the rising of the court, even though later he may be a very honourable person. Under section *9* 'ne will never be entitled to possess a firearm. I feel that it is too harsh and it is not going in any way to help achieve the objectives for which the Act has been brought.

My last objection is that we passed this Bill as early as on the 8th September l!.'5i, and certain suggestions came up. But t.ae Government sat on those suggestion from 1981 onwards. It is 1983. Why is the Government not bringing a comprehensive Bill if the Government feels that possession of firearms has because a menace to the law and order situation of this country? A comprehensive Bill which can deal very severely with unlicensed arms can be brought. In fact I would like, and 1 have got a suggestion, that there should be a public disclosure of all persons who possess firearms. Why can't you make a public disclosure of all persons who possess firearms so that the Government and the people know that these are the persons who possess firearms. That will have a deterrent effect. And in such a case, supposing a list is given that these are the people who have got the licensed arms, and supposing 1 know that a person has got a rifle and his name is not there on the list, T can inform the nearest police station; Look here, here is firearm which

is being possessed by such and such person and his name I do not see on the list. Undoubtedly, he has possessed it in an unlicensed way. And the Government may take action. What is the legal obstacle for bringing an amendment to this *eRectl* Therefore, I will submit that while I have no quarrel whatsoever with the Statement of Objects and Reasons, the Bill as has been brought will not help achieve the Objects and Reasons, and I think it will be better for the Government to withdraw the Bill and bring a more comprehensive legislation covering all aspects of law.

Thank you.

डा० रुद्र प्रताप सिंह (उत्तर प्रदेश): आदरणीय उपसभापति महोदय, आपका मैं हृदय से आभारी हूं जो आपने मुझे आयुद्ध (संशोधन) विधेयक, 1983 अपने विचार प्रकट करने का अवसर दिया है। मैं उसका स्वागत करने को खड़ा हुआ हूं।

श्री उपसभापति : आप बाद में बोलियेगा। सदन की कार्यवाही दो बजे तक के लिये स्थगित की जाती है।

The House then adjourned for lunch at one of the clock.

The House reassembled after lunch at four minutes past two of the clock, the Vice-chairman (Shri Dinesh Goswami) i_n the Chair.

डा० रुद्र प्रताप सिंह : मान्यवर, माननीय सदन के समस्त आदरणीय सदस्य इस तथ्य पर एकमत होंगे कि राष्ट्र में अपराधों की संख्या तथा स्वरूपों में असाधारण रूप से उत्तरोत्तर वृद्धि की प्रवृति, माननीय सदन तथा राष्ट्र के हेतु गम्भीर चिंता तथा चिंतन का विषय है। राष्ट्र विरोधी गतिविधियां भी प्रत्यक्ष और परोक्ष रूप में पल्लवित और पुष्पित हो रहीं हैं जो राष्ट्र को एकता, सुरक्षा और अखण्डता के लिए घातक सिद्ध हो सकती हैं। असामाजिक तत्वों की गतिविधियों में भी तीव्रता के साथ वृद्धि हो रही है जिससे राष्ट्र की आंतरिक सुरक्षा को भारी भय उत्पन्न हो रहा है।

अनुसंधान के आधार पर यह सिद्ध हो चुका है कि इस प्रकार कि गतिविधियों में लाइसेंस रहित तथा लाइसेंस सहित आग्नेय अस्त्रों का उपयोग बढ़ा है। यह संतोष का विषय है कि सरकार का विशेष ध्यान इस अत्यंत गम्भीर समस्या की ओर गया है।

श्रीमन्, समस्या के विभिन्न पक्षों पर पुलिस अनुसंधान तथा विकास ब्यूरो के निदेशक की अध्यक्षता में गठित विशेषज्ञ समिति ने विचार किया तथा उसके निष्कर्षों के आधार पर आयुध अधिनियम, 1959 में संशोधन करने के प्रस्ताव तैयार किये गये थे और एक आयुध संशोधन विधेयक, 1981 इस सदन में 24 अगस्त, 1981 को पुरः-स्थापित किया गया था और इस सदन ने 24 अगस्त, 1981 को यह विधेयक पारित कर दिया था तथा 10 सितम्बर, 1981 को लोक सभा के समक्ष रखा गया था।

इस बीच संसद सदस्यों तथा अन्य क्षेत्रों से विधेयक में और संशोधन के लिए अनेक सुझाव सरकार को प्राप्त हुए। मुझको प्रसन्नता है कि शासन ने इन सुझावों पर विभिन्न अभिकरणों के साथ विचार-विमर्श करके विचाराधीन विधेयक-में आवश्यक संशोधन करने के लिए पुनरीक्षित प्रस्तावों को अंतिम रूप दिया है। राष्ट्र के कुछ भागों में होने वाली घटनाओं से शान्ति व्यवस्था को भय उत्पन्न हो गया है।

[डा० रुद्र प्रताप सिंह]

माननीय सदन सहमत होगा कि अध्यादेश का लाया जाना आवश्यक ही नहीं, अपितु अनिवार्य भी था। वर्तमान विधेयक उस अध्यादेश का स्थान लेगा।

श्रीमन्, आयुध अधिनियम, 1959 जो लगभग 24 वर्ष पूर्व बनाया गया था, 1959 में जिस बच्चे ने जन्म लिया था, वह अब पिता बन चुका है। वर्तमान स्थिति तथा परिस्थितियों में वह अपर्याप्त है। अतएव उसमें परिवर्तन, संशोधन एवं परिवर्तन किया जाना सर्वथा उचित, न्यायसंगत ही नहीं अपितु अनिवार्य है। विधेयक के उद्देश्यों तथा कारणों के कथन में कहा गया है-जिसे मैं उधृत करता हूं -

"अग्न्यायुधों के लिए अनुज्ञप्तियां दी जाने तथा आयुध के विक्रय और अंतरण की बाबत अधिक सतर्कता के लिए उपबन्ध हो जाए।

दूसरा उद्देश्य यह सुनिश्चित करना था कि अग्न्यायुध समाज विरोधी तत्वों के कब्जे में न जाएं।

इस विधेयक के द्वारा अपराधों के लिये दण्ड को भी वृद्धि तथा अधिनियम के अधीन गंभीर अपराधों के लिए न्यूनतम दण्ड का उपबन्ध किया गया है जिसका उद्देश्य यह है कि वह दृढ़ और निवारक कार्य कर सके"।

मैं उद्धरण समाप्त करता हूं और साथ ही उद्देश्य और कारणों के कथन की भावना को सराहना करता हूं।

श्रीमन, जहां तक राष्ट्र विरोधी तथा असामाजिक शक्तियों के द्वारा अग्नेय अस्त्रों के प्रयोग में नियन्त्रण पाने का प्रश्न है, जहां तक विक्षुब्ध क्षेत्रों में अग्नेय अस्त्रों दुरुपयोग की समस्या है, जहां तक अग्नेय अस्त्रों को समाज विरोधी शक्तियों के हाथ में न जा पाने अथवा उनसे छीन लेने का प्रावधान है, सभी माननीय सदस्य विधेयक की इस भावना तथा व्यवस्था से सहमत होंगे। परन्तु आपके माध्यम से अत्यन्त विनम्रतापूर्वक, माननीय मन्त्री जी से मैं यह कहना चाहता हूं कि राष्ट्र में अपराधों की संख्या में जो निरन्तर वृद्धि हो रही है, उसमें उन अपराधों की संख्या अधिक है जिनमें अग्नेय अस्त्रों का उपयोग नहीं होता है, अथवा अग्नेय अस्त्रों के द्वारा होने वाले अपराधों की संख्या अग्नेय अस्त्रों से रहित अपराधों की संख्या की तुलना में कम होते हैं। इतना ही नहीं अग्नेय अस्त्रों के द्वारा जो अपराध होते हैं उनमें भी लाइसेंस सहित अग्नेय अस्त्रों के द्वारा कम तथा लाइसेंस रहित अस्त्रों के द्वारा अत्याधिक होते हैं। राष्ट्रविरोधी तथा असामाजिक तत्वों के पास लाइसेंस रहित अग्नेय अस्त्रों की संख्या लाइसेंस सहित अस्त्रों की संख्या से कहीं अधिक प्रतीत होती है। सरकार का यह प्रथम तथा पुनीत कर्तव्य है कि आरम्भ में उन लाइसेंस रहित अस्त्रों को पकड़े तथा दोषी व्यक्तियों एवम् शक्तियों को दंडित करे। लाइसेंस रहित अस्त्रों से लाईसेंस सहित अस्त्रों से अपराधों की संख्या अत्यन्त नगण्य है।

श्रीमन्, मैं इस बात से भी सहमत हूं कि यदि किसी लाइसेंसधारी व्यक्ति के एक भी अस्त्र का दुरुपयोग हो तो उसके समस्त अस्त्र जब्त कर लिए जाएं। कोई भी लाइसेंसधारी व्यक्ति अपने अस्त्र का हस्तांतरण उसी व्यक्ति को करता है जिसके पास उस अस्त्र का लाइसेंस होता है। अतएव यह सावधानी उन्हें करनी चाहिए जो लाइसेंस प्रदान करते हैं।

मैं इस बात पर भी अपनी सहमति प्रदान करना चाहता हूं कि भविष्य में किसी भी व्यक्ति को तीन अस्त्रों से अधिक का लाइसेंस प्रदान न किये

श्रीमन, प्रमुख रूप से तीन आग्नेय अस्त्रों से अधिक अस्त्र राष्ट्र के भूतपूर्व रूलर, हिज हाइनेस, महाराजा, राजा, जमींदार, ताल्लुकेदार बड़े भूस्वामियों के पास में हैं। जिनमें से अधिकांश पुरातत्व मूल्य के हैं तथा विदेशी हैं और अधिकांश ऐसे हैं जिनके कारतूस भी नहीं मिलते हैं। अब वे अस्त्र केवल उनके वैभवपूर्ण अतीत को गाथा मात्र रह गये हैं। जिस प्रकार से बन्दर की मां अपने मरे हुए बच्चे को अपने सीने से लगाये रहती है उसी प्रकार से ये भूतपूर्व ताल्लुकेदार अपनी उन बन्दूकों को सीने से लगाये हुये हैं। उनका कोई उपयोग नहीं है। उनसे केवल उनके अहंकार की तुष्टि होती है। वे उनको हर मूल्य पर अपने पास सुरक्षित रखना चाहते हैं। ये अस्त्र जब उन से अलग किये जायेंगे तो माननीय मंत्री जी मुझे इस बात का भरोसा है कि वे पुरातत्व मूल्य के अस्त्र चोरी से विदेशों में चले जायेंगे। मैं माननीय मंत्री जी से इस बात का अनुरोध करूंगा कि यदि वे तीन अस्त्रों की सीमा निर्धारित करना चाहते हों तो सरकार स्वयं उनका मूल्य दे कर उन अस्त्रों को राष्ट्रीय अथवा राज्य संग्रहालयों में जमा करवा दें, अस्त्र पर दाता का नाम अंकित करवा दें जिससे कि जो लोग राष्ट्रीय संग्रहालयों में अथवा राज्य संग्रहालयों में जायं वे इस बात को देख सकें कि उन अस्त्रों को किन व्यक्तियों ने, किन महानुभावों ने राष्ट्र हित में दान दिया है। स्वामियों को अपनी सम्पत्ति का उचित मूल्य मिल जायेगा क्योंकि वे अस्त्र केवल अस्त्र नहीं हैं, मान्यवर, वे उनकी सम्पत्ति भी हैं, बहुमूल्य सम्पत्ति भी हैं। तो उन्हें अपनी सम्पत्ति का भी मूल्य मिल जाये और लाइसेंसधारी के अस्त्रों पर सीमा भी हो जाय और वे बहुमूल्य अस्त्र राष्ट्र की संस्कृति की कड़ी के रूप में सुरक्षित हो जायं। वैसे जिनके पास तीन आग्नेय अस्त्र वर्तमान समय में हैं, जिनका उनके पास लाइसेंस भी है, उन्हें भी तीन की सीमा में लाये जाने का विशेष लाभ समझ में नहीं आता है क्योंकि वे अधिकांश अस्त्र ऐसे हैं जो पुरातत्व मूल्य के हैं और, जैसा मैंने निवेदन किया, उनमें से अधिकांश के तो कारतूस भी नहीं मिलते हैं।

मैं यह निवेदन करना चाहूंगा कि अधिकतम भूमि सीमा आरोपण विधेयक के द्वारा जो राष्ट्र को लाभ हुआ था, भूस्वामियों की अतिरिक्त भूमि भूमिहीनों में वितरित की गयी उस प्रकार का कोई लाभ इस विधेयक के द्वारा नहीं मिलने जा रहा है कि जो अस्त्र निकाले जायं वह जनसाधारण में वितरित नहीं किये जा सकते हों। श्रीमन, मुझे इस बात की चिन्ता है कि राष्ट्र के बहुमूल्य अस्त्र जो अभी तक एक वर्ग के पास हर मूल्य पर सुरक्षित थे वह निकाले जाने की प्रक्रिया में उचित व्यक्तियों के हाथ से अनुचित व्यक्तियों के हाथ में जाने की आशंका है। पूंजीपतियों तथा सम्बन्धित लाइसेंस प्रदान करने वाले अधिकारियों को निश्चित रूप से इससे लाभ होगा। जिस वर्ग को अपने पुरातत्व अग्नेयास्त्रों से वंचित होना पड़ेगा मैं इस माननीय सदन के माध्यम से उन से अनुरोध करूंगा कि जैसे आप ने सत्ता, भूमि, सम्पत्ति एव विशेषाधिकार खोना सहर्ष स्वीकार किया था, जिस प्रकार से दधीचि ने सुर-असुर संग्राम में मानवता की रक्षा के हेतु अपनी अस्थि का दान किया था, आप

[डा० रुद्र प्रताप सिंह]

लोग भी उसी परम्परा का अनुसरण करते हुये अपने अस्त्रों का त्याग करें। जिन्हें जीवन का मोह नहीं रहा है उन्हें अस्त्रों का मोह कैसा! राष्ट्र के हित में तन–मन–धन सब कुछ अर्पित करना अपनी विवशता नहीं धर्म समझें। श्रीमन् अधिकतम भूमि-सीमा आरोपण अधिनियम के अन्तर्गत मेरी भूमि को अतिरिक्त भूमि घोषित किया गया था तब परगना अधिकारी ने नियम के अन्तर्गत मेरे हितों की रक्षा नहीं की थी, फिर भी मैंने एक कांग्रेस कार्यकर्ता के रूप में उस निर्णय का स्वागत किया और उसके विरुद्ध कोई अपील नहीं की थी। लोकप्रिय नेता परम श्रद्धेय श्रीमती इंदिरा गांधी की सरकार के द्वारा यह जो क्रांतिकारी विधेयक हमारे आदरणीय मंत्री जी लेकर यहां प्रस्तुत हुये हैं मैं प्रधान मंत्री जी के दल के एक सैनिक के रूप में आज इस बात की घोषणा करता हूं। कि मेरे पास जो 6 आग्नेयास्त्र हैं उन में से तीन आग्नेयास्त्र मैं उत्तरप्रदेश के मुख्य मंत्री जी को भेंट कर दूंगा इस अनुरोध के साथ कि वे उनको राज्य संग्रहालय में जमा करा दें।

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI DINESH GOSWAMI): I hope he Home Minister has not brought this Bill in order to meet people like you.

डा० रुद्र प्रताप सिंह : अन्त में मैं एक हिन्दी की रुबाई पढ़कर अपनी बात को समाप्त करूंगा।

"लहर लहर की बांसुरी पर गुनगुनाऊंगा,
कली कली के साथ साथ मुस्कराऊंगा,
गिराये बिजलियां यह आसमां सौ बार,
बादलों के बीच ही मैं आशियां बनाऊंगा।"

मेरा विश्वास है कि प्रधान मंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी के नेतृत्व में राष्ट्र की कानून और व्यवस्था की स्थिति में निश्चित रूप से सुधार होगा। और इन शब्दों के साथ मैं माननीय मंत्री महोदय जी से अपने सुझाव पर विचार करने का अनुरोध करते हुये इस विधेयक का हार्दिक समर्थन करता ।

SHRI K. MOHANAN (Kerala): Mr. Vice-Chairman, at the outset I would like to make it clear that I am not for opposing this Bill. But I have my own doubts and reservations on this measure. I doubt whether this Bill will serve the purpose of reducing the criminal activities in this country. More than that, I consder this Bill as a cover to conceal the inability, the incompetence and thorough failure of the Government to contain the anti-social, anti-working class and peace disturbing forces of this country.

In the Statement of Objects and Reasons of this Bill, 'the Minister says:

> "However, the trend of recent events in certain parts of the country was such that there was an imminent i' i-ger of extensive disturbance of pubis' peace and tranquility in certain areai and it, "therefore, became urgently necessary to make the provisions of the Arms Act more stringent and effective so as to prevent the misuse of arms and the commission of offences involving the use of arms."

1 have no hesitation to say that this objective of this Bill cannot be achieved by passing this legislation. One of the main amendments included in this Bill is for restricting the possession of firearms. For this purpose, a new clause, namely, subclause (2) of clause 3, has been introduced. This sub-clause envisages that no person, other than a person referred to in sub-section (3). shall" acquire, have in his possession or carry, at any time, more than three firearms. In this context I would like to know whether this limit of three firearms is for family or for each adult member of that family. If the limit applies to .an individual member of a family, then what will be the position of a family which has no faith in family planning methods? Such a family would be able to build up an arsenal which may be

somewhat bigger thaa the one in a local police station and all these firearms will be in use legally. That will be the result. Therefore, I would like to know whether the restriction is in regard to one member of a family or to one whole family.

Jn the case of arms also, there are chances of possession of firearms in be-nami names as in the case of land. Therefore, the maximum firearms which shali be in the possession of an undivided family should be specified.

Licences for firearms are generaly issued on the grounds of self-protection and protection of crops from wild animals. But these legally possessed firearms are used for illegal purposes in the general order \ of the day. In many parts of this country, especially in the countryside, the big landlords have their own armed musclemen and some of them have their own private army. These musclemen and these private | armies of the landlords were frequently used against the poor Harijans, agricultural labourers, adivasis, sharecroppers, tenants, etc. They have no protection from the police or the administrative authorities only because they are poor and the others are from the upper sections of the society and are influential persons of the society.

Here, Sir, a political will on the part of the Government is highly necessary. Mere legislation will not do anything. If there is ah earnest desire on the part of the Government, certainly, at least of a section of the subordinates will act according to that. Now, the police and the administrative authorities are quite sure that the Government is protecting the interests of the upper classes of the society and that is why they are fearless to protect the culprits so blatantly. This attitude of the Government must change first. The state of affairs that I have described just now is not prevailing in the agricultural sector alone. In the industrial sector also, the situation is the same and this sector is familiar with the goonda gangs organised by the management. Sometimes they appear in the form of trade unions or something like that. The trade union gangsterism is widespread in many indsutries, especially in the coal mines.

These goonda gangs are usually in possession of illegal arms. I am really concerned about the growing menace of the illegal manufacture and sale of arms. It has created a serious law and order problem in many parts of this country, particularly in the States of UP, Bihar, Madhya Pradesh and Rajasthan. Sir, in Bihar, it was reported in the Press that in *the* Nal-anda district, illegal manufacture and sale of arms is a cottage industry. The so-called underground factories are really not underground, but they are open <d overground. So, there is no need for . earthing them. These factories are running with complete connivance and support of the police and the authorities concerned with sufficient political support.

In a country, where dacoits have been used to capture polling booths and for threatening the voters to win the elections, how can you prevent illegal manufacture and sale of firearms? Of course, I do agree that legislation to plug the loopholes in the laws is a must. But, at the same time, the more important thing that is required is the political will on the part of the Government to implement these laws. In many cases, Sir, it is unfortunate to note, that there is this kick of political will. As I have mentioned in the beginning of my speech, I am not against this BiM; but I am not for supporting this Bill_ also. I am still doubtful whether this Bill will serve any purpose in the background of our past experience. The growing tendency in the society to indulge in criminal activities is not merely because of inadequacy of laws. This is a social problem connected with so many factors. To solve this problem, an earnest approach on the part of the Government and a change in the attitude of the Government are a must. Otherwise, this exercise of merely passing laws with good intentions will become only a futile effort.

With these words, Sir, I conclude.

श्री राम नरेश कुशवाहा (उत्तर प्रदेश): माननीय उपसभाध्यक्ष जी, मैं माननीय मंत्री जी की इस भावना से तो सहमत हूं कि इनमें, श्रायुद्ध विधेयक में संशोधन होना चाहिये श्रौर जिस मंशा से यह लाया गया है, अपराध को रोकने के लिये, उसका भी मैं समर्थन करता हूं लेकिन माननीय मंत्री जी के देखने में समस्या दूसरी तरह की है श्रौर मेरे देखने में समस्या दूसरी तरह की है। मैं मंत्री जी से चाहूंगा कि उनकी पार्टी श्रौर वे, गरीबों के लिये, पिछड़े वर्गों के लिये, हरिजनों के लिये, श्रादिवासियों के लिये छाती में दर्द लिये घूमा करते हैं तो उस दर्द को जरा सही जगह से देखें। इस श्रार्म्स एक्ट का दुरुपयोग करने वाले, उल्लंघन करने वाले सभी लोगों को सजा मिले इससे कौन इन्कार करता है। लेकिन सवाल यह है कि क्या सचमुच यह हो भी रहा है या श्राप कर भी पायेंगे ? मान्यवर, मैं अनुभव के श्राधार पर यह कहता हूं कि हमारी भी सरकार रही है श्रौर श्रापकी सरकार तो श्रखंड चली श्रा रही है लेकिन गुन्डों के हथियारों को न श्राप की सरकार रोक सकी है, न हमारी सरकार रोक सकी है श्रौर न श्राप श्रागे रोक सकेंगे। नहीं रोक सकेंगे। चाहे उसका भ्रष्टाचार कारण हो, चाहे जातिवाद हो या गुंडों श्रौर डकैतों का डर हो या जो कुछ भी हो लेकिन कभी भी लाइसेंस जिस भले श्रादमी को श्राप देना चाहते हैं शायद 100 में से दो को मिल सकेगा। बाकी के लाइसेंसड हथियार 98 प्रतिशत हथियार गुंडों या गुंडों के संरक्षक के हाथों में जाते हैं। श्रार्म्स के नाम पर श्राप गरीब श्रादमी का चालान कर सकते हैं, हरिजन, श्रादिवासी, पिछड़ा वर्ग को इन लोगों से खतरा नहीं है। इन लोगों के लिये भी कोई खतरा इस देश में नहीं है जो खुद हो लोकदल में, जिसका बाप हो कांग्रेस (श्राई०) में, साला हो भाजपा में, बहनोई हो कम्युनिस्ट पार्टी में श्रौर रिश्तेदार हों दूसरी किसी पार्टी में। चाहे जिस गद्दी पर रहे उस का कोई फर्क नहीं पड़ता। क्योंकि जो भी श्राता है वह उसी में से श्राता है। जो एक ही ढर्रे से राज चल रहा है उसी में से श्राता है। जिनकी जाति का, नाते-पोते में से कोई कलेक्टर नहीं है, एस० पी० नहीं है, कोई थानेदार नहीं है, कोई मिनिस्टर नहीं है जिनका कोई सत्तारूढ़ दल का नेता नहीं है उनको हथियार नहीं मिलेंगे चाहे उनको रोज मार डाला जाए। जब हम बचपन में थे तो चोरों की बात सुना करते थे, डकैती की बात नहीं सुनते थे। तब डकैती नहीं होती थी। जो हथियार चोरों के पास रहते थे वही हथियार गांव वालों के पास रहते थे—लाठी, भाला, बरछा श्रादि। श्राज डकैतों के पास मशीनगन, दूसरी गनें, बम, राइफल्स श्राधुनिक हथियार होते हैं। वे इन हथियारों को लेकर श्राते है। गांव में गरीब श्रादमी के पास बिच्छू, सांप मारने के लिये भाला तक नहीं होता। तरकारी काटने के लिये चार इंच से बड़ा चाकू भी नहीं रख सकता। लेकिन जाति का थानेदार है, सत्तारूढ़ का है या सरदार जाति का है तो वह सब हथियार खुले श्राम लेकर चलता है। हमारे यहां ऐसे नेता है जो दो सौ, दो सौ श्रवैध हथियारों को लेकर चलते हैं। कोई उनको रोकने वाला नहीं है। उलटे उनकी रक्षा के लिये एस० पी० जाता है, डी० एस०पी० जाता है श्रौर पुलिस के लोग उनके साथ रहते हैं। एक तरफ सारे हथियार एक वर्ग के लोगों के पास जमा है श्रौर दूसरा वर्ग छोटी से छोटी लाठी, भाला भी नहीं रखता है। तो क्या गांव के लोग चोर, डकैतों का मुकाबला चाकू से, ब्लेड से करेंगे ? वे कैसे चोर, डकैतों का मुकाबला करेंगे ? जब तक यह असंतुलन बना रहेगा तब तक हरिजन बस्ती फूंकी जाती रहेगी।

तब तक डकैतियां बढ़ती रहेंगी, तब तक कमजोर वर्ग एक रुद्राक्ष की माला लेकर जपता रहेगा। लेकिन आप कमजोर वर्गों की रक्षा नहीं कर सकते। आप रक्षा तब कर सकते हैं जब या तो उनको भी हथियार देने लगें या इन गरीबों को भी हथियार दे दें। चूंकि पुराना अनुभव है कि किसी के हथियार छीन नहीं सकते हैं तो आप फिर सब को हथियार दे दीजिये। हरिजन बस्तियों में रहने वाले राइफल या बन्दूक नहीं रख सकते हैं क्योंकि आपने उन पर प्रतिबन्ध लगा रखा है और वे इस प्रकार से अपनी रक्षा नहीं कर सकते हैं। सौ-पचास रुपयों में उनको एक कट्टा मिल जाता है तो उसी से अपना काम चलाते हैं। इसलिए मेरा निवेदन है कि लौहार गांवों में जो हथियार बनाता है उनको आप फ्री कर दें। जो हथियार आयुध कारखानों में बनते हैं, पुलिस और सेना के प्रयोग के लिए बनते हैं, उन पर आप प्रतिबन्ध लगा दें। लेकिन गांवों में जो हथियार बनते हैं उनको फ्री कर दीजिये। आजकल क्या होता है? गांवों में जब डकैत आते हैं तो पहले यह पता कर लेते हैं कि किस के पास बन्दूक है और किस के पास अन्य कोई हथियार है। जिस व्यक्ति के पास बन्दूक या अन्य कोई हथियार होता है उसको पहले वे अपनी तरफ कर लेते हैं, लेकिन अगर वह उनकी तरफ नहीं होता है तो उस पर कब्जा कर लेते हैं। उसके बाद सारे गांव को लूटते हैं। ऐसी स्थिति में गांव में कोई भी उनका प्रतिरोध करने वाला नहीं होता है। अगर उनको यह पता ही नहीं होगा कि किस गांव में कितने हथियार हैं तो डकैती डालने से पहले वे सोचेंगे कि दूसरी तरफ के लोगों के पास भी हथियार हो सकते हैं। पहले जमाने में आपने देखा होगा कि गांवों में जब डकैतियां होती थी तो पहले जमकर लड़ाई होती थी और अगर डकैत मारे जाते थे तो वे भाग जाते थे, लेकिन अगर गांव वाले मारे जाते थे तो डाकू लूट-पाट करते थे। जब डाकू को यह पता होगा कि गांव में किसी के पास कोई हथियार नहीं है तो वे गांवों को लूटेंगे। एक तरफ तो हथियार-बन्द लोग होंगे और दूसरी तरफ निहत्थे लोग होंगे। इसमें कैसे मुकाबला होगा? कहीं-कहीं तो पुलिस वाले डकैती के मामलों में पकड़े जाते हैं। इसलिए मेरा निवेदन है कि एक तरफ लोगों के पास हथियार होंगे और दूसरी तरफ निहत्थे लोग होंगे तो आप देश के अन्दर शांति और व्यवस्था कायम नहीं रख सकते हैं। अगर आपको इसको रोकना है तो आप हथियारों को फ्री कर दीजिये। अगर डकैत को पता होगा कि इस गांव में लोगों के पास हथियार हैं तो वह एकदम से हमला नहीं कर सकता है। उसको पता होगा कि दूसरी तरफ से भी मुकाबला हो सकता है। जहां तक गुण्डों का सवाल है, आप किसी भी चौराहे पर चले जाइये, आप देखेंगे कि गुण्डे को यह आत्म-विश्वास होता है कि हथियार सिर्फ मेरे पास है, अन्य लोग तो निहत्थे हैं। इसलिए उसके मन में जो आता है वह करता है और लोगों को मार भी डालता है। अगर आप हथियारों को फ्री कर देंगे तो उसको अपना भी खतरा होगा। हरिजनों और कमजोर वर्ग के लोगों के पास हथियार नहीं होते हैं, इसीलिए उन पर अत्याचार होते हैं मुझे तो ऐसा लगता है कि आप ईमानदारी से इन वर्गों की रक्षा नहीं करना चाहते हैं। अगर आप चाहते तो हथियारों पर इस प्रकार से प्रतिबन्ध नहीं लगाते। इमरजेन्सी के दिनों में हम देवरिया जेल में थे। वहां पर हमने देखा कि आई० टी० आई० के स्कूल में कट्टा बनता है, पुलिस वाले आकर बनाते हैं। जब इस

[श्री राम नरेश कुशवाहा]

प्रकार की हालत है तो आप किस प्रकार से शांति और व्यवस्था को बना सकते है? इसलिए मैंने निवेदन किया कि आप हथियारों को फ्री कर दीजिये ताकि कमजोर वर्ग के लोग अपनी रक्षा स्वयं कर सकें।

एक बात यह कही जाती है कि अगर हथियारों को फ्री कर देंगे तो सशस्त्र क्रांति हो जाएगी, गड़बड़ी हो जाएगी। मैं यह कहना चाहता हूं कि पहला विश्व युद्ध धरती पर लड़ा गया था, दूसरा विश्व युद्ध आसमान पर लड़ा गया था और अब तीसरा विश्व युद्ध कोठरी में लड़ा जाएगा। आप कोठरी में बन्द होंगे और कोई भी आ कर आप पर बम गिरा जाएगा। हथियारों को फ्री करने से कोई भी सशस्त्र क्रांति नहीं होने वाली है। जब तक सशस्त्र क्रांति के लिए विदेशों से सहायता नहीं मिलेगी, विदेशी हस्तक्षेप नहीं होगा, तब तक सशस्त्र क्रांति इस देश में नहीं हो सकती है, इसका कोई डर नहीं है। आज रोज पंजाब के अन्दर इतना हल्ला हो रहा है। सरकार की अगर इच्छा होती तो दस दिन के अन्दर इसको बन्द किया जा सकता है। लेकिन आज तो स्थिति यह है कि मैं बैरी, सुग्रीव प्यारा। कोई प्रिय है और कोई अप्रिय है। इस प्रकार से काम कैसे चलेगा? आज राष्ट्रीय एकता की बात कही जाती है। ठीक है, राष्ट्रीय एकता होनी चाहिए। लेकिन अभी श्रीलंका के अन्दर आपने देखा कि किस प्रकार से हमारे हिन्दुस्तानी भाई मारे गये है। प्रधान मंत्री जी ने भी इस बारे में कहा। मैं पूछना चाहता हूं कि क्या तमिलनाडु एक अलग राष्ट्र है? यह नहीं कहा कि हिन्दुस्तानी मारे जा रहे हैं, कहा तमिल मारे जा रहे हैं। आपने नहीं कहा हिम्मत के साथ कि हिन्दुस्तानियों के साथ अत्याचार हो रहा है। क्या आपने यह मान लिया है कि तमिलनाडु अलग राष्ट्र है। लेकिन लगता है कि हमारी दृष्टि खराब हो गई, आपकी दृष्टि खराब हो गई, आप सही दृष्टि से समस्या को सोचना नहीं चाहते, समझना नहीं चाहते, ईमान की कमी है नहीं तो ज्ञान की कमी है, आप जानेंगे कि किसकी कमी है। मैं आपसे कहना चाहता हूं कि अगर आप गरीबों की रक्षा करना चाहते हैं तो अगर गांव में हथियार बन सकते हों तो इसको कानूनी कर दीजिये। अगर आप प्रतिबन्ध लगाना चाहते हैं तो रखने वाले को लाइसेंस दे दीजिये, 10-5 रुपये लेकर और बनाने वाले को भी लाइसेंस दे दीजिये ताकि आपको जानकारी रहे कि कहां-कहां हथियार बन रहे हैं। अभी हमारे एक मित्र कह रहे थे कि खुले आम ये कारखाने चल रहे हैं, पुलिस की मदद से, नेताओं की मदद से और चलेंगे। इसलिये कि जब बूथ कैप्चर करके आप चुनाव जीतेंगे जब गोली चलाकर चुनाव जीतेंगे और लोगों को दबाकर रखेंगे अवैध हथियारों के बल पर, वैध हथियारों से अपराध बहुत कम होते हैं, 95 प्रतिशत अपराध अवैध हथियारों से होते हैं ... (समय की घंटी)

मैं खत्म कर रहा हूं।

इसलिये मेरा आपसे निवेदन है कि जब आप अवैध हथियारों को रोक नहीं सकते तो सब को रखने की इजाजत दीजिये। मैंने संशोधन दिया है वह यही दिया है। अगर इजाजत हो तो मैं उस संशोधन को पढ़ दूं।

उपसभाध्यक्ष (श्री दिनेश गोस्वामी) : जरूरत नहीं।

श्री राम नरेश कुशवाहा: मैं अपनी बात समाप्त करते हुए माननीय सेठी जी से यह कहना चाहता हूं कि ...

उपसभाध्यक्ष (श्री दिनेश गोस्वामी) : श्री लस्कर ।

श्री राम नरेश कुशवाहा : हैं नहीं मंत्री महोदय । मैं कानून मंत्री जी और गृह मंत्री जी से यह निवेदन करना चाहता हूं कि आपको अगर रत्ती भर भी इस देश के गरीबों का ख्याल है, हरिजन, आदिवासियों और पिछड़े वर्गों का ध्यान है तो निश्चित रूप से यह काम कीजिये । इन चंद शब्दों के साथ मैं आपसे विदा लेता हूं। धन्यवाद ।

श्री नरेन्द्र सिंह (उत्तर प्रदेश) : उपसभाध्यक्ष जी, यह आर्म्स अमेंडमेंट बिल, 1983 जो है इसका समर्थन करने के लिये मैं खड़ा हुआ हूं और मैं इसका समर्थन करता हूं ।

मान्यवर, जो आज देश की स्थिति है, जो कानून और व्यवस्था की स्थिति है, तमाम तरफ से, चाहे वह पंजाब हो, चाहे असम हो, देश का कोई भी हिस्सा हो, जो वाइलेंस बढ़ रहा है, जो हिंसा बढ़ रही है, ऐसी स्थिति में सरकार के द्वारा जो यह बिल लाया गया है उचित है । लेकिन ऐसा लगता है कि इस बिल को पेश करने के पहले पूरे तरीके से इस पर विचार नहीं किया गया । ऐसा भी हो सकता है कि जल्दी में यह बिल लाया गया हो क्योंकि अगर इसके प्रोविजंस को देखें तो एक इसमें जो प्रावधान है, हालांकि उस प्रावधान के इरादे के बारे में, जो उसका दृष्टिकोण है, वह ठीक हो सकता है, मैं उसमें शक नहीं करता हूं । लेकिन अगर लाइसेंसिंग अथारिटी रिपोर्ट मांगती है और पुलिस के द्वारा निश्चित समय के अंदर रिपोर्ट नहीं आती है तो लाइसेंस ग्रान्ट कर दिया जायेगा । मान्यवर, इसमें कोई शक नहीं कि पुलिस के लोग गरीब लोगों को बहुत परेशान करते है, लाइसेंस के सिलसिले में, रिपोर्ट देने के सिलसिले में । दूसरी तरफ सी० आर० पी० सी० में, 1973 में जो एक प्रावधान किया गया है, मुझे सेक्शन इस समय याद नहीं है, कि अगर 60 दिन के अंदर चार्जशीट नहीं आती है तो जमानत मंजूर कर दी जायेगी । नतीजा यह हुआ कि लोगों ने पुलिस को अप्रोच करना शुरू किया और जो तमाम मर्डरर्स थे जो हार्डेन्ड क्रिमिनल्स थे और जो लोग पैसा खर्च कर सकते थे, उन्होंने यह व्यवस्था कर ली कि उनकी 60 दिन के अन्दर चार्जशीट न आये और अदालत को मजबूर होकर उनको जमानत पर छोड़ना पड़े । तो इस पर विचार करने की जरूरत है और एक बहुत बैलेन्स्ड व्यू इस पर रखने की जरूरत है। इसमें कोई ऐसी व्यवस्था हो जिससे पुलिस का जवाब तो तलब किया जाये कि क्यों आपने रिपोर्ट नहीं भेजी । एक टाइम दे दिया जाए कि इतने दिन और इतना समय आपको दिया जाता है लेकिन बिलकुल बिना पुलिस की रिपोर्ट के हालांकि पुलिस रिपोर्ट भी आजकल जो शिकायतें आ रही हैं आजकल जैसे देखने में आता है कि जो आदमी पैसा खर्च कर देता है, मुझे इस बात को कहने में कोई संकोच नहीं है कि जो क्रिमिनल हैं वे पैसा खर्च करके अपने फेवर में रिपोर्ट लिखवा लेते हैं, और जो भला आदमी है वह दो-दो, चार-चार महीने दौड़ता रहता है...

श्री लाडली मोहन निगम (मध्य प्रदेश) : पुलिस से हथियार ले कर हत्या करता है वह भी बता दीजिए ।

श्री नरेन्द्र सिंह : वह आप बता दीजिएगा । तो इस पर कोई ऐसा तरीका निकाला जाना चाहिए जिससे कि पुलिस का रिपोर्ट जरूरी हो क्योंकि ला एंड आर्डर मेनटेन करना पुलिस का काम है । तो कोई ऐसी व्यवस्था इस पर जरूर होनी चाहिए ।

दूसरा इसमें एक बहुत अच्छा प्रावधान है, उसके लिये मैं सरकार को, गृह मंत्री

]श्री नरेन्द्र सिंह]

जी को बधाई देता हूं। इन्होंने सीलिंग की है कि तीन से ज्यादा हथियार नहीं होने चाहिएं। मैं तो अपने भाई रुद्र प्रताप सिंह जी को इन्होंने कहा है कि 6 असलहे इनके पास हैं तीन मुख्य मंत्री को वे दे देंगे ताकि वे उत्तर प्रदेश में म्यु-जियम में रखे जाएं इस तरीके से बहुत से लोगों को करना चाहिए। यह बहुत अच्छी बात है। इसके लिये मैं उनको बधाई देता हूं। एक बात मैं यह कहना चाहता हूं कि यह तीन का प्रावधान कैसे रखा गया है? क्या दो काफी नहीं हैं? तीन की बात कैसे आई? एक लाइट वेपन हो सकता है। पिस्टल आदमी रख सकता है और एक राइफल हो सकती है। यह तीन की क्या जरूरत थी? तीन के बजाय यदि दो हथियार हों क्योंकि एक हथियार से ज्यादा अगर कोई आदमी रखता है तो इसके मायने यह है कि दर-असल वह सुरक्षा के लिए नहीं रखना चाहता है बल्कि वह दिखावे के लिए, अपनी प्रतिष्ठा को बढ़ाने के लिये रखना चाहता है। सुरक्षा के लिये कोई तीन हथि-यारों की जरूरत नहीं है उसके लिये आप दो रख सकते हैं एक लाइट वेपन पिस्टल आदि हो सकती है और एक राइफल या गन। इस तरीके से हो सकता है। इसलिये दो जरूरी है। लेकिन यहां कुछ लोगों को इस पर कष्ट हो रहा है कि हमारे जो पुराने असलहे हैं वे जब्त हो जायेंगे, वह देने पड़ेंगे, सरेंडर करने पड़ेंगे। इससे उनको तकलीफ हो सकती है। कहीं कहीं ऐसा भी हो सकता है कि वे बहुत पुराने हथियार हों और म्युजियम में रखने के काबिल हों। अगर यह पुलिस के लोगों को दे दिये जायें तो वे इन्हें अपने म्युजियम में रख लेंगे तो उसकी कुछ ऐसी व्यवस्था होनी चाहिए एक टाइम दे करके कि उनकी सेफ कस्टडी की गारन्टी होनी चाहिए कि जो हथियार जमा होंगे इनमें बहुत से पुराने ऐतिहासिक महत्व के भी हो सकते हैं उनको सेफ कस्टडी में रखा जाएगा, सुरक्षित रखा जायेगा और इसी जगह में एक बात और कहना चाहता हूं कि कोई भी चीज किसी से अगर ली जाए तो उसका मुआवजा जरूर दिया जाना चाहिए। हालांकि यह भी मैं मानता हूं कि अगर किसी के पास आठ-दस असलहे हैं ये गरीब लोगों के पास नहीं होंगे लेकिन चाहे कोई भी हो मुआवजा जरूर दिया जाना चाहिए। इसके बारे में कुछ नियम बनाए जाने चाहिए कि इस पर इतना मुआवजा दिया जायेगा। बिना मुआवजा के किसी की चीज लेना किसी की वस्तु लेना मुनासिब नहीं है। उसका मुआवजा दिया जाना चाहिए। अब मान्यवर, आर्म्स एक्ट में प्रावधान है कि तहसील से या थाने से रिपोर्ट मांगी जाती है कि इस आदमी के पास हथियार रखने की जगह भी है या नहीं, इसके पास सम्पत्ति है या नहीं। पुलिस तो रिपोर्ट दे दे कि इसका चाल-चलन अच्छा है लेकिन तहसीलदार कहता है कि इसके पास खाने के लिये नहीं है रहने के लिये जगह नहीं है। मान्यवर, यह सही है कि सम्पत्ति की रक्षा होनी चाहिए क्योंकि इसमें है कि आप की प्रोटेक्शन के लिये, प्रापर्टी की प्रोटेक्शन के लिए लाइसेंस की जरूरत तो होनी ही चाहिए। मान्यवर, मेरा निवेदन यह है कि इसमें प्रापर्टी के साथ-साथ परसन की, व्यक्ति की सुरक्षा बहुत जरूरी है। आज जो गांवों में डकैतियां होती हैं पहले और आज में फर्क हो गया है। पहले यह होता था कि ऐसे आदमी के यहां डकैती पड़ती थी जिसके यहां रुपया पैसा होता था, धन होता था, लेकिन आज होता यह है कि डकैत लोग जाते हैं और गांव के किनारे के 10 हरिजनों के, गरीब लोगों के घरों को लूट लेते हैं, क्योंकि उनके पास तो डंडा भी नहीं होता है अपने बचाव के लिए। तो मान्यवर, जैसा कि

सरकार की नीति है, अतः इन गरीब लोगों को भी लाइसेंस मिल सकें, ये गरीब लोग भी अपनी सुरक्षा के लिए अस्त्र रख सकें, इस तरह की कोई व्यवस्था होनी चाहिए।

मान्यवर, दरअसल जो समस्या है वह लाइसेंस्ड आर्म्स की नहीं है। लाइसेंस्ड आर्म्स तो आपके पास रिकार्ड में हैं, कभी भी आप चाहें उनको जमा करा लीजिये। प्राब्लम है अनलाइसेंस्ड आर्म्स की, इल्लीगल आर्म्स की और इल्लीगल आर्म्स किस के पास हैं? बात साफ है कि इल्लीगल आर्म्स कमजोर लोगों के पास नहीं हैं। इल्लीगल आर्म्स हैं, ताकतवर लोगों के पास, मजबूत लोगों के पास। वैसे तो किसी के पास इल्लीगल आर्म्स हैं तो उसको सजा का प्रावधान है लेकिन मैं गृह मन्त्री जी से कहना चाहूंगा कि इसके लिये 10 दिन का या 15 दिन का एक ड्राइव होना चाहिए, जिसका कि लोगों को पता न हो और जिसमें सारे देश में लोगों के पास जो इल्लीगल आर्म्स हैं उनको सख्ती के साथ बिना किसी रियायत के ले लेना चाहिए। मैं तो इसमें यह भी कहने के लिये तैयार हूं कि चाहे वह बहुत ही पवित्र से पवित्र जगह क्यों न हो अगर वहां पर इल्लीगल आर्म्स हैं तो वहां पर उनको नहीं रखा जा सकता है, कोई इल्लीगल चीज नहीं रखी जा सकती है क्योंकि इल्लीगल चीज के रखने से वह पवित्र स्थान भी अपने आप में अपवित्र हो जायेगा। इस इस तरह का एक ड्राइव होना चाहिए। मान्यवर, मुझे इसका एक तजुर्बा है। मैं उनका नाम नहीं लूंगा क्योंकि वे मेरे मित्र हैं। मेरे पड़ोस में एक जिला है, उन्नाव। उन्नाव में बहुत इल्लीगल आर्म्स है। मैंने उनसे कहा कि एक काम कर सकते हो कि अगर वहां गरीब आदमी की हिफाजत करना चाहते हो तो इल्लीगल आर्म्स को रिकवर कराओ। उन्होंने कैम्प करके तमाम जगहों में, कई हजार इल्लीगल आर्म्स रिकवर किये। तो अगर पुलिस चाहे और प्रयास हो तो इन इल्लीगल आर्म्स की रिकवरी हो सकती है मान्यवर, इन इल्लीगल आर्म्स के बारे में ऐसा नहीं है कि छोटे-छोटे आर्म्स ही इल्लीगल आर्म्स में आते हों, बड़े-बड़े सोफिस्टीकेटेड वीपन्स जैसे स्टेन गन, राइफलस, लाइट मशीन गन्स आदि भी डकैतों के पास हैं। कहां से ये आये इनके पास? अक्सर ऐसा सुनने में आता है कि फलां डकैत पकड़ा गया उसके पास से ब्रेन गन पकड़ी गयी, स्टेन गन पकड़ी गयी और इतने हजार कारतूस पकड़े गये। मैं सरकार से यह जानना चाहूंगा कि उनके पास ये हथियार कहां से आये? या तो ये बाहर से आये या हमारे यहां के लोगों ने जिनके पास इस तरह के हथियार हो सकते थे, उन लोगों ने उनको वे हथियार सप्लाई किये, अतः इस पर ख्याल करने की जरूरत है कि इल्लीगल आर्म्स के साथ जो इल्लीगल अम्यूनिशन्स हैं वे बड़ी तादाद में उनके पास कहां से पहुंच जाते हैं। इस बात को देखनेकी जरूरत है।

मान्यवर, ये जो लीगल आर्म्स लाइसेंस्ड आर्म्स हैं इनका अपराध करने के लिये, जुर्म करने के लिये बहुत कम उपयोग होता है, ज्यादातर अनलाइसेंस्ड आर्म्स ही इस्तेमाल किये जाते हैं। तो लाइसेंस्ड आर्म्स की, जैसा मैंने कहा कि प्राब्लम नहीं है। प्राब्लम है इल्लीगल और अनलाइसेंस्ड आर्म्स की और उसकी व्यवस्था करने की जरूरत है।

अब मान्यवर, यह एक अवसर है इसलिए मैं उसका लाभ उठाना चाहता हूं। हमारा कानपुर जनपद है वह डाकू ग्रस्त इलाका घोषित है। वहां यमुना के किनारे के गांवों में पुलिस तो पहुंच नहीं पाती है और लोगों के पास आर्म्स नहीं हैं। हम कलेक्टर से बात करते हैं तो कलेक्टर कहता है कि राइफल का लाइसेंस देने की इजाजत नहीं है। पुलिस हिफाजत कर नहीं सकती है,

[श्री नरेन्द्र सिंह]

लाइसेंस आप दे नहीं सकते, आखिर कैसे लोगों की हिफाजत होगी ? मान्यवर, इस तरीके को व्यवस्था की जरूरत है, इस तरीके के इंस्ट्रक्शंस जारी करने की जरूरत है जिससे गरीब लोगों की हिफाजत हो सके, कमजोर लोगों को हिफाजत हो सके, वह अपनी रक्षा कर सकें, उनकी सुरक्षा हो सके।

तो, मान्यवर, मैं गृह मंत्री जी से निवेदन करूंगा कि जो हमने सुझाव दिये हैं और जो हमारे कई एक मित्रों ने सुझाव दिये हैं, उनको ख्याल में रखते हुए कोई एक अच्छा अमेंडेड बिल लायें जिससे कि जो इस बिल में कमियां रह गई हैं, उनको पूरा किया जा सके, उनको दूर किया जा सके।

इन्हीं शब्दों के साथ मैं इस बिल का समर्थन करता हूं और, मान्यवर, आपको बहुत-बहुत धन्यवाद देता हूं कि आपने मुझे कुछ कहने का मौका दिया।

श्री सूरज प्रसाद (बिहार) : महोदय, इस बिल के जरिए सरकार समाज विरोधी तत्व जो समाज में फैले हुए हैं, उनके नियंत्रण करने के उद्देश्य से इस बिल को और भी अधिक कठिन और कठोर बनाना चाहती है, लेकिन लगता यह है कि, और इसलिए बिल के अन्दर कुछ ऐसी बातें कही गई हैं जिससे लगता यह है कि सचमुच में सरकार कुछ करना चाहती है। लेकिन सरकार का जो उद्देश्य है, वह इस बिल से पूरा होने वाला नहीं है। दो प्रोवीजन, दो उपबंध इस बिल में महत्वपूर्ण हैं। एक यह है कि सरकार आग्नेय आस्त्रों को सीमित करना चाहती है और दूसरा यह कि जो डिस्टर्ब्ड एरिया हैं, जो गड़बड़ी वाले इलाके हैं, उन इलाकों के अंदर जिनके पास आग्नेय अस्त्र हैं, उनको एक विज्ञप्ति के द्वारा, अगर उस इलाके में गड़बड़ है, तो समर्पण कराने या लेकर चलने पर पाबन्दी लगाना चाहती है।

प्रश्न यह है कि क्या सरकार के यह दोनों उद्देश्य पूरे हो सकते हैं। अगर देखा जाए, तो पाया यह जाता है कि आग्नेय अस्त्र आम तौर पर आजकल तीन-चार तरह के लोगों के पास हैं : गांवों में जो भूस्वामी हैं, पुराने जमींदार हैं, राजा और महाराजा हैं और धनी किसान हैं, जिनके पास कानूनी आग्नेय अस्त्र है और उनके पास जितने आग्नेय अस्त्र कानूनी नहीं हैं, उनसे कई गुना अधिक गैर-कानूनी अस्त्र हैं और कानूनी अस्त्र महज पर्दा का काम कर रहे हैं गैर-कानूनी अस्त्रों को रखने के लिए।

दूसरे जो अस्त्र पाये जा रहे हैं, वह गुंडा तत्वों के पास--चाहे वह गांवों में रहते हों, या औद्योगिक क्षेत्रों में रहते हों और तीसरे जो अब आग्नेय अस्त्र हैं, वह आतंकवादियों के पास--चाहे वह वामपंथी आतंकवादी हों या दक्षिणपंथी आतंकवादी हों, सब से जो चिंता का विषय है, वह यह है कि देश के अंदर जितना आजकल कानूनी अस्त्र नहीं हैं, उससे कई गुना अधिक गैर-कानूनी अस्त्र हैं। ऐसी स्थिति में मैं सरकार से यह जानना चाहता हूं कि क्या देश के अन्दर असंख्य संख्या में जो गैर-कानूनी अस्त्र हैं, क्या इस बिल के जरिए उन पर कोई नियंत्रण रखा जा सकता है? और यह जो अस्त्र हैं आज वह अस्त्र आमतौर पर कानून के अन्दर अस्त्र मिलता है जान और माल की हिफाजत के लिए लेकिन इन अस्त्रों का इस्तेमाल हो रहा है भूस्वामियों के द्वारा गांव के अन्दर जब कोई भूमि सम्बन्धी आन्दोलन होता है या न्यूनतम मजदूरी सम्बन्धी कानून को लागू करने के सम्बन्ध में आन्दोलन होता है। ये अस्त्र भूस्वामियों द्वारा दबाने में इस्तेमाल होते हैं। औद्योगिक क्षेत्रों में जो माफिया

गैंग तैयार हो गये है वे अपने ट्रेडयूनियन प्रतिद्वन्द्वियों को दबाने के लिए इस्तेमाल करते हैं या औद्योगिक मजदूरों को दबाने के लिए इस्तेमाल करते हैं । आसाम और पंजाब में जो अभी अस्त्र-शस्त्र का इस्तेमाल हो रहा है वह एक राजनीतिक उद्देश्य की पूर्ति के लिए हो रहा है । उन आतंकवादियों के पास देशी हथियार ही नहीं हैं बल्कि विदेशी हथियार भी उन्हें प्राप्त हैं । वे उन्हें कहां से मिलते हैं सरकार को जानकारी होगी । इन अस्त्र-शस्त्र का इस्तेमाल चुनाव के दौरान बूथों पर कब्जा करने के लिए होता है । सब से अधिक इस का इस्तेमाल आजकल इस राजनीतिक उद्देश्य की पूर्ति के लिए होता है । मैं तो बिहार से आता हूं और मुझे इस बात की जानकारी है कि बिहार के अन्दर गैरकानूनी हथियारों को बनाने के लिए कई कारखाने बने हुए हैं जहां आसानी से पाइप गन मिल सकती है सौ और दो सौ रूपये में । ऐसी स्थिति में मैं सरकार से यह जानना चाहता हूं कि गैरकानूनी हथियार जो गांवों के अन्दर जमींदार, धनी किसान, पुराने राजा-महाराजा और भूस्वामियों के हाथों में जमा हो गये हैं क्या सरकार उन्हें जब्त करने की दिशा में कोई कदम उठाना चाहती है?

इस बिल के अन्दर कहा गया है किसी भी आदमी के पास तीन से अधिक हथियार नहीं हो सकते । हमारे यहां संयुक्त परिवार है । एक ही परिवार के अन्दर में जब कोई बालिग हो जायेगा इस कानून के मुताबिक 21 वर्ष का हो जायेगा उसे भी हथियार प्राप्त करने का अधिकार हो जाता है । ऐसी स्थिति में तीन की जो सीमा रखी गयी है वह बेकार है । एक ही परिवार के अन्दर कई आदमी होंगे जिन्हें तीन से अधिक हथियार रखने की आजादी मिल जाती है इस कानून के जरिये । यह सही है कि पहले लोग असंख्य हथियार रखते थे, राजा-महाराजाओं के पास हथियारों की सीमा नहीं रहती थी । तीन की बात कही जा रही है । इस से भी अधिक हथियार लोग रख सकते हैं, जैसी कि हमारे यहां परिस्थिति है ।

यह जो आर्म्स एक्ट है यह 1959 से है । पहले भी आर्म्स एक्ट रहा होगा, मैं अन्दाजा करता हूं । इस के मुताबिक जान और माल की हिफाजत करने के लिए आग्नेअस्त्र प्राप्त किये जा सकते हैं । किस के पास अस्त्र हैं अभी कानून के मुताबिक? भूस्वामियों के पास, राजा-महाराजाओं के पास, जमींदारों के पास, धनी किसानों के पास । यह कानून हथियार दे सकता है समाज के दबंग लोगों को, यह कानून हथियार दे सकता है जिन के पास धन है । मैं सरकार से यह पूछूं कि जब से यह कानून बना है तब से क्या इस कानून के जरिए गांवों के अन्दर कोई भी हरिजन, कोई भी आदिवासी, कोई भी मध्यम किसान अग्नेअस्त्र प्राप्त कर सका है? नहीं । लगता यह है कि कानून बना कर सरकार महज गांवों के अन्दर जो धनी लोग हैं उन के स्वार्थों की रक्षा करने के अलावा कुछ नहीं प्राप्त करना चाहती है ।

3 P.M.

दूसरी बात इसी से निकलती है कि सरकार के सामने धन का, माल का ज्यादा महत्व है जान से । ऐसी स्थिति में गांवों में जो कमजोर वर्ग के लोग हैं उन्हें हथियार इस कानून के जरिये नहीं मिलता है । हम ही नहीं, कई

[श्री सूरज प्रसाद]

लोगों ने इस संबंध में अपनी बात बतायी है । इसलिये मैं चाहता हूं कि इस कानून में इस तरह का प्रावधान [illegible] जाना चाहिए कि कानून के अंदर [illegible] जान की हिफाजत के लिये अगर को[illegible] [illegible] जन या कोई आदिवासी या कमजोर वर्ग का आदमी या गरीब किसान या मध्यम किसान अपनी जान की हिफाजत के लिये आग्नेयास्त्र प्राप्त करना चाहे तो इस कानून के दायरे के अंदर उसे वह प्राप्त करने का प्रावधान किया जाना चाहिए, जो इस कानून के अंदर नहीं है। जहां तक मैं समझ पाया हूं इस कानून को लाने का कारण पंजाब और आसाम की समस्या है । उस ने मजबूर किया है सरकार को इस को लाने के लिये । मैं सरकार से जानना चाहता हूं कि क्या सरकार इस कानून के जरिये पंजाब के अंदर आतंकवादियों के पास जो हथियार हैं उन हथियारों को जब्त कर सकती है इस कानून के पास हो जाने के बाद? मैं समझता हूं कि यह असंभव है । अभी हम लोग यह सुन रहे हैं कि अमृतसर के स्वर्ण मंदिर में हथियार काफी संख्या में जमा हैं । क्या इस कानून के पास हो जाने के बाद मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि आप यह हिम्मत दिखायेंगे कि अमृतसर के स्वर्ण मन्दिर में जो हथियार जमा हैं उन को जब्त करने की दिशा में कोई कदम उठायेंगे ? मेरी समझ में तो यह संभव नहीं है ।

दूसरी बात मैं यह कहना चाहता हूं कि इस कानून के अंदर ऐसा संशोधन किया जाना चाहिए कि एक आदमी के पास एक से अधिक हथियार न हों । इस के लिये मैंने संशोधन भी दिया है और मैं समझता हूं कि सरकार को उस संशोधन को मान लेना चाहिये ।

तीसरी बात जो इस कानून के संबंध में मैं कहना चाहता हूं वह यह है कि यह कानून अधूरा है । यह कानून संकीर्ण है । एक व्यापक कानून बनाया जाना चाहिए ताकि और तरह की बातें और विचार जो माननीय सदस्यों ने यहां बहस के दौरान रखे हैं उन का समावेश इस में हो सके । आज देश में जो आतंकवादियों की लहर फैल रही है उस के पीछे सामाजिक और आर्थिक कारण हैं और जब तक सामाजिक और आर्थिक कारणों और इन कमियों को दूर नहीं किया जायेगा और इस दिशा में कोई कदम नहीं उठाया जायेगा मैं समझता हूं कि इस कानून के जरिये इस आतंकवाद का मुकाबला नहीं किया जा सकता । इसलिये सरकार को इस दिशा में भी सोचना चाहिए । देश में पंजाब की जो समस्या है वह महज कानून और व्यवस्था की समस्या नहीं है । उस के पीछे आर्थिक और राजनीतिक कारण भी निहित हैं और इस लिये इस दिशा में भी कदम उठाना चाहिए ताकि इन समस्याओं का समाधान निकल सके ।

श्री शांति त्यागी (उत्तर प्रदेश) : माननीय उपसभाध्यक्ष महोदय, प्रस्तुत विधेयक 1959 के आर्म्स ऐक्ट में संशोधन के वास्ते पेश किया गया है और 22 जून 1983 के आर्डिनेंस का स्थान लेगा ।

[**उपसभाध्यक्ष (श्री आर० आर० मोरारका)** पीठासीन हुए।]

मैं इस विधेयक का समर्थन करते हुए कुछ सुझाव रखना चाहता हूं और चाहता हूं कि माननीय मंत्री जी उन सुझावों पर अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त करें। इस में दो राय नहीं कि हमारे देश में हिंसा का

वातावरण बढ़ रहा है । बहुत तेजी में हिंसा की प्रवृत्ति भी बढ़ रही है । उदाहरण के लिये देश में कुछ ऐसे इलाके हैं जहां खूंखार डाकूओं के अड्डे हैं जो रक्तपात करते हैं हत्या और बलात्कार करते हुए भले घरों को उजाड़ते हैं । ऐसे इलाकों में असाधारण तौर पर भयंकर हथियारों को पकड़ने के लिये विधेयक में कुछ व्यवस्था होनी चाहिए थी, जो नहीं है ।

नम्बर दो, मैं यह भी कहूं कि देश में ऐसे भी इलाके हैं जहां हरिजनों और पिछड़े वर्ग को शक्तिशाली वर्ग वोट नहीं डालने देता । पोलिंग स्टेशन तक नहीं जाने देता ।

अपने हथियारों के बल पर शक्तिशाली वर्ग उनकी जमीनों पर भी जो कि 20 सूत्री कार्यक्रम के अन्तर्गत उनको मिली हुई हैं, उन पर भी कब्जा करते हैं । ऐसे इलाकों में गरीबों को अपनी रक्षा के लिए कुछ न कुछ हथियार देने की व्यवस्था प्रस्तुत विधेयक में होनी चाहिए थी जो मैं समझता हूं कि नहीं है । इसलिए मैं चाहता हूं कि इस के विषय में मंत्री जी के क्या विचार हैं वह फरमायें ।

तीसरी बात जो मैं कहना चाहता हूं वह यह है कि कुछ स्थान हमारे देश में ऐसे हैं जहां पर कम्यूनल टैंशन बराबर रहती है । कुछ स्थान तो इस बारे में बड़े बदनाम हो गये हैं । ऐसे स्थानों पर गैर कानूनी आर्म्स को पकड़ने के लिए क्या व्यवस्था की गई है यह बतायें । मैं चाहता हूं कि किसी भी जाति के जो जाने-माने साम्प्रदायिक तत्व हैं जो हथियार रखते हैं और उनका दुरुपयोग करते हैं, उनके हथियारों पर प्रतिबन्ध लगाया जाना चाहिए जो कि इस विधेयक में नहीं किया गया है ।

मान्यवर, मैं यह भी जानना चाहता हूं कि जैसा कि कई माननीय सदस्यों ने भी इसका जिक्र किया है कि बहुत से धार्मिक संगठनों एवं व्यक्तियों के पास स्टेन-गन आदि जैसे हथियार रहते हैं । मैं मंत्री महोदय से निवेदन करूंगा कि धर्म के लिए हथियारों की क्या आवश्ता है । पूजा के स्थलों पर पूजा न करके वहां पर गैर कानूनी हथियार जमा हों, यह बड़ी गलत बात है । इसलिए मैं मंत्री जी से अनुरोध करूंगा कि ऐसे व्यक्ति या संगठनों के हथियारों को वापस लेने के लिए कदम उठाना चाहिए और सख्ती के साथ उनके गैर कानूनी हथियारों को जब्त करना चाहिए ।

श्रीमन, अंतिम दो बातें कहकर मैं अपनी बात समाप्त करूंगा । जैसा कि माननीय श्री नरेन्द्र सिंह जी ने कहा कि सारे देश में गृह विभाग को एक जांच करानी चाहिए, सर्वे कराना चाहिए जहां पर कि गैर-कानूनी आर्म्स हैं, चाहे किसी बड़े घर में हों या डाकुओं के पास हों या उनके इलाकों में हों और उनको पकड़ने के लिए बड़ी मुस्तैदी के साथ गृह मंत्रालय को कदम उठाने चाहिए और एक पूरी मुहिम चलानी चाहिए । लेकिन मौजूदा हालत में इस विधेयक में इस तरह की व्यवस्था नहीं की गई है जो कि मेरी राय में आवश्यक है ।

दूसरी बात जो मुझे कहनी है वह यह है कि जिन लोगों का लाइसेंस मिल सकते हैं उनकी उम्र बढ़ाकर 16 वर्ष से 21 कर दी गई है मैं चाहता हूं कि यह उम्र 21 के बजाय 18 वर्ष रखें । यह हमारे देश के नौजवानों के जो विचार हैं, उनको जो आकांक्षायें हैं

[श्री शान्ति त्यागी]

उनके अनुरूप बात होगी और आप उनके साथ न्याय कर सकेंगे ।

अन्त में इस विधेयक का मैं समर्थन करता हूं; लेकिन यह जरूर कहूंगा कि यह विधेयक और अन्य जो कुछ विधेयक आये हैं उनमें बड़ी जल्दबाजी की गई प्रतीत होती है क्योंकि उनमें बहुत खामियां हैं । उनके आब्जेक्टिव्स बहुत साफ नहीं हैं और कम से कम जो धारायें उनके अन्तर्गत हैं वह बड़ी कंफ्यूजिंग हैं, उनमें इजाफा करने की आवश्यकता है और उनको संपूर्ण रूप में रखने की आवश्यकता है ।

इन्हीं शब्दों के साथ माननीय उपसभापति जी, मैं आपको धन्यवाद देता हूं कि आपने मुझे इस विधेयक पर अपने विचार प्रस्तुत करने का अवसर दिया ।

SHRI B. SATYANARAYAN REDDY (Andhra Pradesh): Mr. Vice-Chairman. Sir, the Bill which is before us, the Arms (Amendment) . Bill, !983, seems to be defective. It is not comprehensive. The whole problem which they have dealt with is about amendment of section 3, amendment of section 13, amendment of section 9 and other sections. So far as these sections are concerned, I would like to make < some comments on two or three section-.. In clause 3—amendment of section 3— it has been stated:

"Notwithstanding anything contained in sub-section (1). no person, other than a person referred to in sub-section (3), shall acquire, have in his possession or carry, at any time, more than three firearms:"

I would like to know why this number of three firearms has been put in this Bill. Why not one? Is there any need for a person to have more than one firearm for his safety? So it seems any person can have three firearms, in his name, in the name of his son, in the name of his wife and so on. In this way they can have more firearms. Secondly so far as amendment of Section s is concerned, it has been stated:

"Notwithstanding anything contained in sub-section (1), a person may. without holding a licence in this behalf, sell or transfer any arms or ammunition which he lawfully possesses for ais own private use to another person woa> is en:itled by virtue of this Act or any other law for the time being in force to have, or is not prohibited by this. Act or such other law from having in his possession such arms or ammunition."

That means, in a way licence has been given to persons who have lawfully held arms in their possession, who can sell to any person who is entitled to have firearms. So I would like to impress upon the Minister that laws should be made in such a way that alt those persons who possess arms, whether legally or illegally, whether under licence or not. all of them should have registered their names with the concerned police station or the concerned authorities; otherwise, ■ it is very difficult to control the number of arms-which they possess with them.

Thirdly, so far as amendment to Section 9 is concerned, I welcome it. For the word "16 years', the word '21 years'" shall be substituted. All right. 'Sixteen' is too early an age for a person to have firearms. The age can be raised to 18 or 21. f have no quarrel with that. I welcome that.

Another loophole I find in this Bill is with regard to the amendment to Section 13. It says,

"In Section 13 of the principal Act,. for sub-section (2), the following subsections shall be substituted, namely:— (2) On receipt of an application, the licensing authority shall call for the report of the officer in change of the nearest police station on that application, and such officer shall send his report within the prescribed: time."

Bat Jater on N has been stated that if the concerned police officer is not in a position to send bis report, then automatically the licence will be granted to the applicant, it is here that 1 say that people who are really not entitled to tiave a licence, may lure the police officers and the police leers, in collusion with such people, may ignore to send the report deliberately. Thus all those persons who are not entitled to have licences will get licences under this amendment So ! want me Home Minister to seriously consider this lacuna, This amendment wlii prove very igerous because under (his all the .anti-social elements are enabled to get licences for arms. These are some of the comments I wanted to make with regard .to these sections.

(would then like to know from the Minister whether the licences for arms, firearms, which have been so far granted. .have been issued properly or nol. whether the Government has seriously considered this question at all, and whether the Government is going to take necessary steps or have necessary machinery for -verifying the persons who are really in need of arms, to ensure that these who really do not need firearms do not get at them. N there any machinery by which ^you can control the issuing of arms licences. So far as the common people are concerned, we are seeing how some anti social elements, some big people, arc harassing them, how they are committing atrocities on the weaker sections of the society, especially those «1io are not in a position to defend themselves. So the Government must help such weaker sections from groups or societies. But you have to create a machinery in each village and each pasti where people, as a group, should be able to defend the society or village or basti. For that purpose, firearms should be available to ihem as a group, not as individuals. I do not think that this Bill has any such provi-, sion. Those who really need protection should he protected. Now-a-days we all Tknow that law and order problem is there everywhere. So strict measures should be taken to see that innocent people tire protected. We all read news of murders taking place, loot taking place. Strict measures should be fafen to see that such things do not happen in future and anti-social elements should not be encouraged to get firearms.

श्री शांति त्यागी : उपसभाध्यक्ष महोदय, हमारे एक माननीय सदस्य बिहार सरकार में मंत्री बन गये हैं और अभी वे यहां पर आए हुए हैं। क्या हम उनको मुबारकबाद दे सकते हैं ?

उपसभाध्यक्ष (श्री आर० आर० मारारका) : जी नहीं। श्री नत्था सिह।

श्री नत्था सिह (राजस्थान) : उपसभाध्यक्ष महोदय, माननीय गृह मंत्री जी सदन के अन्दर जो बिल लाये हैं उस पर चर्चा चल रही है। उसके संबंध में दो शब्द मैं भी कहना चाहूंगा। राजस्थान के जिस इलाके से मैं आता हूं वहां पर डकैती की बहुत ज्यादा वारदातें होती हैं। यह इलाका उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश की सीमा से लगा हुआ है। मैं राजस्थान के धौलपुर और भरतपुर इलाके से आता हूं। इस इलाके के बारे में मैं कुछ घटनाएं सदन में बतलाऊंगा। वहां पर गांवों में और छोटे छोटे नगरों में हरिजनों की अलग अलग बस्तियां बनी हुई हैं। इन गांवों में डकैत बन्दूक ले करके, हथियार ले करके उन पर आक्रमण कर देते हैं। फायरिंग करके, डरा करके माताओं और बहिनों को घरों से निकाल कर उनके पास जो भी कड़े या दूसरे गहने होते हैं उनको छीन लेते हैं। कानों में जो भी बालियां या दूसरी चीजें होती हैं, नथनी होती है, उन सब को उतार कर ले जाते हैं। ऐसी ऐसी घटनाएं देखने में आती है कि अगर किसी औरत का बच्चा हो रहा हो या बच्चा हुआ हो तो उसके पास से भी सारी चीजें ले जाते हैं। कहते हैं कि फलां की बहू कहां है ?

[श्री नत्था सिंह]

उनके पैरों पर जो भी चीजें होती हैं उनको उतार कर ले जाते हैं। इस तरह से औरतों के सारे जेवर उतार लिये जाते हैं। ऐसी घटनाएं मेरे इलाके राजस्थान में आए दिन होती रहती हैं। भरतपुर, धौलपुर, करौली और सवाई माधोपुर के इलाकों में और उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश की सीमा पर लगने वाले इलाकों में ऐसी घटनाएं होती रहती हैं। इसलिए माननीय मंत्री जी से मैं एक निवेदन करूंगा कि जैसा अभी थोड़ी देर पहले एक माननीय सदस्य ने इस सदन के अन्दर कहा था कि शेड्यूल्ड कास्ट्स और शेड्यूल्ड ट्राइब्स् के लोग जिन गांवों में बसते हैं या जिन अलग-अलग नगरियों में बसते हैं उनके गांव में तीन-चार लोगों को लायसेंस अवश्य मिलने चाहिएं। मैं माननीय मंत्री जी से यह भी निवेदन करूंगा कि शैड्यूल्ड कास्ट्स के लोगों को और हरिजनों को मुफ्त में हथियार दिये जायें क्योंकि उनके पास इतना पैसा नहीं होता है कि वे हथियार खरीद सकें। कम से कम हाफ रेट पर उनको हथियार दिये जाने चाहिएं। मेरा सुझाव तो यह है कि हर गांव में जहां पर हरिजन बस्तियां हैं, जहां पर शेड्यूल्ड कास्ट्स और शेड्यूल्ड ट्राइब्स की अलग अलग बस्तियां हैं, उनको मुफ्त में हथियार दिये जायें ताकि उन पर कोई अत्याचार न करने पाये और इस तरह की घटनाएं न होने पायें... (**व्यवधान**)। मौलवी साहब कह रहे हैं कि उनको ट्रेनिंग भी दी जाय। मैं उस इलाके से आता हूं जहां पर इस तरह की घटनाएं होती हैं। मैं यह कहना चाहूंगा कि कुछ प्रान्तों में शेड्यूल्ड कास्ट्स और शेड्यूल्ड ट्राइब्स के लोग पुलिस में और फौज में अधिकारी भी होते हैं। या जो भी आई. ए. एस. आफिसर हैं, कलेक्टर हैं, डिप्टी सुपरिटेन्डेंट हैं, आई. जी. हैं, थानेदार हैं उनको कलम देकर दफ्तरों में लगाये रखते हैं और थानेदार को किसी थाने में नहीं लगायेंगे, उसको लाइन में बैठा देंगे, एस. पी. को दफ्तर में बैठा देंगे, आई.जी. को किसी जिले में नहीं लगायेंगे। यह हालत राजस्थान और देश के हर प्रान्तों की है। इसलिए मैं माननीय मंत्री जी से अनुरोध करूंगा कि शैड्यूल्ड कास्ट और शैड्यूल्ड ट्राइब्स् के जो अधिकारी हैं, पदाधिकारी हैं, उन को इन इलाकों में लगाया जाय। मैं इतना ही कहकर आप लोगों से क्षमा चाहता हूं और इस बारे में मेरे यही सुझाव हैं।

श्री हुक्मदेव नारायण यादव : (बिहार) उपाध्यक्ष महोदय, अभी जिस विधेयक पर सदन में विचार हो रहा है, मैं दो-चार बातों की ओर सरकार का ध्यान आकृष्ट करना चाहूंगा। सर्वप्रथम जिस विचार को माननीय सदस्य श्री रामनरेश कुशवाहा ने रखा था, मैं भी उस विचार से सौ फीसदी सहमत हूं कि हथियार के ऊपर लाइसेंस रहे ही नहीं, हथियार बिल्कुल आजाद कर दिये जायें और जिसको जितने हथियार चाहियें, जितने हथियार वह रख सकता हो वह रखे। क्योंकि एक तरफ आप जब लाइसेंस देते हैं, हमारे बिहार की क्या हालत है, गया जाइये, औरंगाबाद जाइये, रोहताश जाइये, भोजपुर जाइये, नवादा जाइये नालन्दा जाइये, बेगुसराय जाइये, मुंगेर जाइये, इन जिलों के लिये कह दिया गया है कि ये डिस्टर्ब्ड एरिया हैं, नक्सलाइट एरिया हैं, नक्सलपंथी एरिया घोषित किया गया है। वहां जितने बड़े बड़े लोग हैं, वे चाहे जितने हथियार जैसा चाहें लाइसेंस्ड और अन-लाइसेंस्ड हथियार रखते हैं और उनका इस्तेमाल गरीबों के ऊपर करते हैं जो अपनी न्यूनतम मजदूरी की लड़ाई लड़ते हैं, अपनी इज्जत और रोटी की लड़ाई

लड़ रहे हैं। जो रोटी की ही लड़ाई नहीं लड़ रहे हैं बल्कि इज्जत की लड़ाई भी लड़ रहे हैं । वहां एक परम्परा ऐसी बनी है कि कोई भी नौजवान यदि शादी करे तो वह अपनी पत्नी के साथ पहले नहीं सो सकता था जब तक कोई बड़ा आदमी उसका शील भंग न कर दे तो जहां ऐसी व्यवस्था चलती रही है और गरीबों की बहू और बेटियों की इज्जत के साथ खिलवाड़ होता रहा हो, जहां के लोग यह कहते रहे हैं कि सुन्दर औरत और उपजाऊ भूमि तो गरीब के लिये परमात्मा ने बनायी ही नहीं है, ऐसे आदर्श को मानने वाले लोग जहां रहते हैं, वहां वे अपने हथियारों के बल पर उनकी इज्जत और रोटी के साथ खिलवाड़ करते रहते हैं। इन गरीब तबकों के पढ़े-लिखे नौजवान जिनको आधुनिक सभ्यता की हवा लग गई है, स्कूल और कालेज में पढ़कर निकले हैं, बड़े लोगों की संगत में आ जाया करते हैं वे अगर उस अन्याय का प्रतिकार करते हैं तो उनको नक्सलपंथी कहा जाता है, उग्रवादी कहा जाता है, अराजक तत्व कहा जाता है और उनके सीने पर गोली चलाई जाती है । प्रति दिन इन इलाकों में 10-20 लोग मारे जाते हैं, उनके ऊपर हथियार उठाये जाते हैं । जिनके ऊपर ये हथियार उठ रहे हैं उनके हाथ में हथियार नहीं हैं, जिनका खून हो रहा है, कत्ल हो रहा है उनके हाथ में हथियार नहीं है। क्या हैं उनके हाथ में, लाइसेंस्ड और अन-लाइसेंस्ड, जो कि इन पर अत्याचार करते हैं, लेकिन उनको रोकने के लिये कोई प्रावधान नहीं है । मैं कहना चाहता हूं कि सरकार विषमता को मिटाने में, अन्याय और अत्याचार को रोकने में पूर्णतः असक्षम, असमर्थ और असफल रही है और इस असफलता, अक्षमता को सरकार अपने ऊपर, अपने सर पर लेना नहीं चाहती । मेरी विनम्र प्रार्थना है कि उन गरीबों के हाथ में भी हथियार लेने दो ताकि वे अपनी हिफाजत खुद कर सकें, क्योंकि आप उनकी हिफाजत करते नहीं । अगर उनके पास हथियार होंगे तो वे स्वयं अपनी हिफाजत कर सकेंगे । लेकिन वहां क्या होता है उन लोगों के घर पर पुलिस जाती है कि अन-लाइसेंस्ड हथियार हैं और सड़क पर कुछ हथियार फेंक देती हैं और 10-20 गरीब लोगों को मार देती है कि उनके पास से हथियार निकले हैं । तो मेरी प्रार्थना है कि सरकार इस बारे में कुछ सोचे । मैं निवेदन करना चाहता हूं कि जिन जिलों के नाम मैंने गिनाये हैं, उन जिलों के लिये हम लोग निरन्तर मांग करते रहे हैं कि भारत सरकार एक संसदीय समिति नियुक्त करे जो उन जिलों में जाकर इन बातों की जांच करे, पूरी दरयाफ्त करे, तफसील से जांच करे कि वहां पर क्या स्थिति पैदा हो रही है । पंजाब और असम के लोगों में लड़ाई की ताकत है, आन्दोलन और सत्याग्रह करने की ताकत है क्योंकि वे राजनैतिक, आर्थिक और सामाजिक दृष्टिकोण से सक्षम और समर्थ हैं कि वे लड़ाई लड़ सकें और उनकी आवाज यहां सुनी जाती है । लेकिन बिहार के ये जो 10-15 जिले हैं, जहां उन पर वहां निरन्तर जुल्म हो रहा है, अत्याचार हो रहे हैं लेकिन उनकी आवाज निकल नहीं सकती क्योंकि वे आर्थिक, राजनैतिक और सामाजिक दृष्टि से इतने सक्षम नहीं हैं ताकि वे अपनी लड़ाई लड़ सकें और इसलिये उनकी बात नहीं सुनी जाती ।

दूसरी बात, ये गैर-कानूनी हथियार रखता कौन है ? राज-सत्ता जिनके हाथ में है, सामाजिक सत्ता जिनके हाथ में है, प्रशासनिक सत्ता जिनके हाथ में है, जिनके हाथ में ये सब केन्द्रित हैं, उनके घर में ही ज्यादा गैर-कानूनी हथियार इकट्ठे हैं । पकड़ेगा कौन ?

[श्री हुक्मदेव नारायण यादव]

गांव में कहावत है कि 'बाप बेटा दलाल बैल का दाम बारह आना', । बाप-बेटा दलाली करते हैं, राजनैतिक शक्ति भी वहीं है, प्रशासनिक शक्ति भी वहीं हैं । एम.एल.ए., एम.पी. उसी घर से निकल रहा है, आई.ए.एस., आई.पी.एस. अफसर उसी घर से निकल रहा है, अदालत में कुर्सी पर बैठ कर फैसला देने वाला भी उसी घर से निकलता है मुझे कहने में कोई एतराज नहीं है मुझ पर न्यायपालिका के अपमान का इल्जाम लगाया जा सकता है लेकिन मैंने अपनी आंखों से देखा है कि जिस कौम के आगे लिखा रहता है कि यह दुसाध है, हरिजन है, कुरमी है, इस प्रकार लिखा रहता है तो वह अपराधी नहीं भी रहता तो भी उनकी जमानत अदालत में नामंजूर हो जाती है और बड़े बड़े लोगों को तो एंटीसिपेटरी बेल मिल जाती है चाहे सुप्रीम कोर्ट हो चाहे हाई कोर्ट हो क्योंकि उनकी रक्षा करने वाले सभी जगह बैठे रहते हैं। इसलिए जो गैर-कानूनी हथियार का सवाल वहां इकठ्ठा हुआ है जिनके पास सारी सत्ता इकठ्ठी है वही गैर कानूनी हथियारों के बल पर गरीबों के सीने पर गोली चलाते है । आज अगर इस देश में अन्याय और अत्याचार को मिटाना है तो सब से बड़ा सवाल यह है कि हथियार फ्री कर दो । हमारे हाथ में भी हथियार आने दो । क्योंकि आप हमारी रक्षा करने में असक्षम साबित हो रहे हैं । इसलिए मुझे भी अपने हाथ में हथियार लेने दो ताकि मैं जालिम के साथ लड़ कर मुकाबला कर सकूं । लेकिन आप मुझे रोकते हो । आप एक तरफ से मेरे हाथ से हथियार छीनते हो और दूसरी तरफ जालिम के हाथ में हथियार देते हो पुलिस घर में आती है तमाम बड़े लोग उन गरीबों के सीने पर गोली चलाते हैं । पुलिस पार्टनर है, सरकार पार्टनर है । आप जालिम हैं और जुल्मी हैं । जालिम और जुल्म के गर्भ से यह सरकार निकली है इसलिए आपके दिल में गरीबों के प्रति कोई दर्द नहीं है । आप हमारे हाथ में हथियार फ्री कर दो हमारे हाथ में स्वतंत्र रुप से हथियार आने दो । हमने फैसला लिया था । बिहार की गद्दी पर एक गरीब घर में झोंपड़ी में पैदा हुआ डा. लोहिया का चेला एक नाई का बेटा कार्पूरी ठाकुर थोड़े दिन गद्दी का मालिक बना था। इस अन्याय और इस अत्याचार को रोकने के लिए उसकी सरकार ने फैसला लिया था कि जिस इलाके में कहीं भी हरिजनों और कमजोर वर्ग के लोगों पर यदि गोली चलेगी उन पर अत्याचार होगा तो उस इलाके के तमाम बड़े लोगों के हथियारों को जब्त कर लेंगे और थोड़े में जमा कर देंगे क्योंकि उनकी जिम्मेदारी हो जाती है कि वे उन गरीबों की हिफाजत करें अपने हथियारों से। नम्बर-2 उन्होंने फैसला लिया था कि इन गरीबों पर अगर अत्याचार होगा, आतंक उस इलाके में यदि नहीं रोका जाएगा तो मजबूर हो कर स्टेट पावर का इस्तेमाल कर के हम उन गरीबों के हाथ में फ्री हथियार सरकार की ओर से दे देंगे और कहेंगे कि तुम अपनी हिफाजत आप करो। क्या आप ऐसा कर सकते हो । आपकी सरकार नाम लेती है, इन्दिरा गांधी, नेहरु की सरकार गरीबों और हरिजनों का नाम लेती है उनकी जय-जयकार करती है अगर आप यह भी कर दो तो मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा । इन्हीं शब्दों के साथ मैं सोचता हूं कि आप ऐसा कोई बिल बना कर लावें, आज आप कर सकते हो आप उसको आगे बढ़ाओ । (व्यवधान)

SHRI SHR1DHAR WASUDEO DHABE (Maharashtra): Mr. Vice-C3iair-

man, Sir. this Bill has been brought after passing an Ordinance. Sir, the Aims and Objects of this Bill clearly show that there was absolutely no basis for the issty of *an* Ordinance on a matter which was pending for the last 2 years. Sir, therefore, a Resolution has rightly been brought forward disapproving the Ordinance, because this tendency to bring Ordinances when the ordinary course is open is really a misuse of power, and though condemned many times the Government is still using it.

Sir, so far as the Bill is concerned. 1 find that this piecemeal method of solving the problem is not going to help the society. Sir, our whole law is based on the status of man. People are given arms for the protection of their properties and *person because Ihey are* high placed. People who are poor, down-trodden, are not given arms because they have ao> status in the society. The result was the land reforms legislation and other social legislations have remained on mere paper as such. The situation has changed. Aims are used by people like big landlords and others against innocent people, and there is much misuse of arms. Second, the assumption of this law was that Government will be able to enforce the law strictly and will be able to maintain law and order and afford protection. We find, Sir, in today's situation, Government is not in a position to maintain the law and order. Dacoities are taking place openly. Life has become insecure. Atrocities on women have increased. Atrocities on Harijans have increased. .Government has become wise after the event. Tf the law and order cannot be enforced in today's society—it may be due to political system corruption or anything else—the people lose faith. The fact remains that today the people have lost faith in the Government's capacity to maintain law and order. In some States, you cannot move freely after 4 o' clock. If you go out, you have to go with an armed jeep to protect you. This is the situation in U. P. and Bihar. Public meetings cannot be held after 4 o'clock. Therefore, I do not understand this provision of allowing three arms. A time-limit is i here for the surrender of fire arms. I do not think it is a proper proposition which is going to solve this problem. Illegal arms are increasing. They are being used. Unlicensed arms are on the increase. The Government has been completely unsec-cessful in taking out arms from those that the people have arms. There are illegal factories working in many parts of the country. Under the situation, either the Government must have a rigid Arms Act completely prohibiting all these arms or a time has come when the Arms Act should be repealed so that the people can protect themselves against the goods elements Therefore, this bill, not being compre-hensive, cannot solve the problem.

As regards the Bill, there are three defects which 1 would like to point out. The first is about the sportsmen. They cannot have more than 3 arms.

This will reduce the competitiveaess af our sportsmen. Secondly, a question was raised about the number of persons in a family. If there are more persons in a family, then that family can have more arms. It is something like the family planning programme of the Government. In fact, I think that the number 3 has been taken from the family niainning slogan. They have made this equation. Then, there is no limitation under this Act. Thirdly, provisions about punishment have not been strengthened. I would like to make only one submission. There is no logic in bringing forward this, amendment and issuing Ordinance. I therefore, oppose this Bill. 1 request the Minister to withdraw this Bill and to bring forward a comprehensive Bill if he really wants the Arms Act to be amended.

SHRI AJIT KUMAR SHARMA (Assam): Sir. all the hon. Members have pointed out that the Bill has certain defects. There are technical defects, defects in wording, etc. As it appears to me, defects are not so much in the Bill itself as in the very philosophy of the Government. The Governmcnf suffers from terrible defects by trusting more on the ordinances than on the power of the people expressed through the Parliament'. It is because of this basic malady inside the Government that we have had so many ordinances. Even this present Brll which the Home Minister has brought

[Shri Ajit Kumar Sharma]

forward is to justify or to regularise the presidential ordinance. Again, from the very Statement of Objects and Reasons, we find that the ordinance ought not io have been issued by the Government. To justify the proclamation of the Ordinance, the Home Minister has stated that certain public disturbances occurred in th« meanwhiie compelling the Government to bring forward this ordinance. Although he has not mentioned specifically, these public disturbances are supposed to have occurred in Assam and Punjab and also in Kashmir. Now, the Home Minister has also admitted that on the original Bill which was passed by the Rajya Sabha and pending in the Lok Sabha. very valuable suggestions for the amendment of the Bill were also forthcoming. If this is so. the right course for the Government was to take up all these valuable suggestions, discuss the whole thing threadbare in the Parliament and pass the Bill. Instead of doing that, the Government has brought forward an Ordinance to curb the disturbances in Assam, Punjab, etc. But may I point out. Sir, does, it not indicate the basic disease of the Government which looks at everything, every problem of the country from an angle of law and order? When people start a movement on some genuine causes, the Government immediately becomes afraid and it gets panicky. It seeks to suppress the people by means of draconian laws and not satisfied with that, now the Home Minister has brought forward this Arms (Amendment) Bill. Now, in Assam itself, you see that effect of suoh an Ordinance. The Minister of State for Home Affairs also comes from Assam. I wish he had gone to the villages and seen what had actually happened because of the extrodinaiy powers given to the Executive and the Executive Magistrates, and the consequences of the order of the Government on the law abiding people to surrender all the arms and ammunitions and even small gupns of the villagers: Is a village, one or two people possess guns, not for committing violence in the society but for protection purposes. What happened in Assam? From the villagers two or three guns which were in possessor of were taken away by the police and the next night, the whole village was attacked by the anti-social elements and there was completely massacre. The police did not help them. This is what has happened. And the Home Minister ought to have known it. By this Act or by this Ordinance, the Government has not and wilt not succeed in controlling the illegal fire arms. It has only encouraged them. And the encouragement comes from the political forces. And some political leaders are there. Sir. only a few days by there was an interesting anecdote told by a Member of Parliament frpm Allahabad in one of the Committees which we were attending. He was complaining that the Tinsukia Mail reaches Allahabad at three o'clock in the night, putting the passengers into a lot of difficulty because when the passengers go lo their homes from the station at night, they are attacked by anti social elements. And the Member has related his own experience. One night he was going home from the Allahabad railway station — he is an MP from Allahabad and belongs to the rulling party itself—and on 'he <A;I\. he was attacked by the antisocial '.aotlWists.' His/ car was blocked. When he got out of the car, it v\;is found that those anti-social elements were his own clients. And when these goondas saw him then the clients just dispersed in a friendly way and he freely went home. I relate the story because this is the actual situation which the Home Minister has missed while framing this particular law. By making such laws and by issuing such Ordinances, he is not going to control firearms. If he is sincere in controlling the violence on account of the possession of these firearms, let him first of all control his own Police force to stop widespread State violence on innocent peaceful citizens. Let the Home Minister remember the violence committed by the police is the most menacing. India is the only country throughout the world where the police have killed the largest number of innocent people. Unarmed people have been killed by the Police personnel and various other state Forces.

First of all, let the Home Minister con-

trol his own Department and show an example to the people. And only then he may he able to influence and correct the situation, and not by enacting such wrong laws as the present one.

Sir, I want to ask only two or three questions in this connection. First of all, I would like to know what concrete steps the Home Minister has taken to control the illegal manufacture of arms in the country. Secondly, what steps he has taken to prevent political support being given to these unlicensed arms Holders? And, thirdly, what has he done for disarming the real culprits in the society? Only by withdrawing some necessary arms from a few citizens, he is not going to cottlrol the situation. That is why 1 find that this Bill can achieve nothing except that *it* can establish an unlicensed Government in the name of controlling unlicensed Weapons, I, therefore, would request the Home Minister to withdraw this Bill and bring forward a new Bill with comprehensive measures for controlling violence in society, not only on account of illegal arms but ;»ll kinds of violence that we are facing including State violence in the society.

श्री शिव चन्द्र झा (बिहार) : उपसभाध्यक्ष महोदय, अवैध आर्म्स पर रोक लगाने के लिए जो यह विधेयक हमारे सामने है वह किस अवैध ढंग से आया है उस के बारे में थोड़ा बहुत कहा गया है, लेकिन मैं भी कहना चाहता हूं । आर्डिनेंस के लिए इस सरकार का इनफेचुएशन है, एलमार्ड आफ आर्डिनेंसेज है, यह सरकार आर्डिनेंस के द्वारा चलना चाहती है जो कि हमारे पार्लियामेंटरी सिस्टम के तौर-तरीके के खिलाफ है। उपसभाध्यक्ष महोदय ने स्पष्ट रूप में कहा था कि एक बार जब सेशन शुरु होने जा रहा है तब आर्डिनेंस जारी करना उचित नहीं है, प्रापराइटी के खिलाफ है । आर्डिनेंस जारी किया गया 22 जून को जिस पर यह कानून आया। 25 जून को समन्स इसू हुए सेशन के लिए । यदि सरकार इमीनेंट खतरा समझती होती तो 25 जन को सम्मन हुए, 25 जुलाई को बैठक शुरू हुई, 25 जुलाई को लोक सभा में विधेयक ले आती है और 26 जुलाई को पास करा कर एक महीने तीन दिन में—22 को मोडल पोइंट बना लें तो तेंतीस दिन में —यह कानून के रूप आ जाता वैध तरीके से जब कि 22 जून को आर्डिनेंस किया और आज है 17 अगस्त, इस का मतलब है 56 दिन बाद यह कानून के रूप में आ रहा है । इस लिए बाका-यदा सेशन के शुरु होते ही विधेयक आता, राज्य सभा से पास होता वैध तरीके से तो वह एक बात होती, लेकिन जिस रूप में आर्डिनेंस के जरिए लाया गया है उस में साफ होता है कि जो इमीनेंट डेंजर है उस को सरकार महसूस नहीं करती है, उस को इमपार्टेंस नहीं देती है । मैं जानना चाहता हूं कि आर्डिनेंस की जरुरत क्या थी जब सेशन शुरु हो रहा था । जो सामान्य तरीका है उस के खिलाफ सरकार का रवैया हो गया है ।

उपसभाध्यक्ष महोदय, यहां पर बात उठी कि हरिजनों पर इन का इस्तेमाल होता है—यह स्पष्ट बात है । प्रापर्टी वाले, दौलत वाले इन को ले लेते है और इन का इस्तेमाल हरिजनों के खिलाफ, वीकर सेक्शन्स के खिलाफ करते हैं । यह भी कहा गया है कि इन को भी दिये जायें । मैं तो कहूंगा कि राइट टु आर्म्स कर दीजिए । दुनिया में है फंडामेंटल राइट टु आर्म । अमरीकी संविधान में फंडामेंटल राइट टु आर्म है । लेकिन उन की परम्परा दूसरी है । वह आर्म्स पर जन्मे, आर्म्स पर पले और आर्म्स पर ही बढ़ रहे हैं औ आर्म्स पर ही दुनिया में छाये हुए हैं हमारी परम्परा कुछ दूसरी रही है औ

[श्री शिव चन्द्र झा]

राइट टू आर्म्स फंडामेंटल बनाना हमारी परम्परा के अनुकूल नहीं होगा । लेकिन साथ-साथ यह भी बात है, अध्यक्ष महोदय, कि जो अवैध ढंग से हथियार रखे जाते हैं उन का इस्तेमाल होता है । जो मकसद दिया गया है अपनी सुरक्षा के लिए उसका दुरुपयोग आंखों के सामने हर जगह हो रहा है ।

अब जहां तक यह विधेयक है आर्म्स का पब्लिक प्लेसेज में ले जाना, उन का इस्तेमाल होना, इस के लिये मैं जानना चाहता हूं कि क्या इस विधेयक में कोई प्रावधान है इस को रोकने के लिये । अवैध हथियार हैं मंदिर में मस्जिद में, अवैध हथियार हैं गुरुद्वारे में । क्या आप के यहां प्रावधान है कि उन को आप ले लें । आप जानते हैं कि अवैध हथियार वहां हैं । क्या आप उन को ले सकते हैं ? इस के लिये कोई प्रावधान नहीं है । यदि नहीं है तो आप साफ कर दें । इसी लिये इस विधेयक की ड्राफ्टिंग ठीक नहीं है । अब एक आदमी तीन हथियार रख सकता है । वह तीन क्यों रखेगा ? आप थोड़ी देर के लिये बतलाइये कि किस आधार पर आप ने यह तीन की संख्या निश्चित कर दी । आप ने चार या दो क्यों नहीं तय किया ? किस आधार पर यह फैसला किया गया ? इस लिये मैं समझता हूं कि जिस उद्देश्य से यह काम सरकार करना चाहती है और यह विधेयक लायी है उस के लिये यह विधेयक एप्रोप्रियेट नहीं है, कांप्रेहेंसिव नहीं है और इसी लिये मेरा संशोधन है कि इस को एक सेलेक्ट कमेटी में भेज दिया जाय । दो चार महीने में पृथ्वी उलटने नहीं जा रही है । जब से आर्डिनेंस जारी कर के आप ने इस दिशा में काम शुरू किया है आप बताये कि इस कानून के तहत आप ने कितने अवैध हथियारों को अपने कब्जे में किया । आप ने कितने लोगों को पकड़ा ? इस लिये दो चार महीने के बाद भी जब यह सेलेक्ट कमेटी से छन कर आ जायगा तो उस समय तक कोई आसमान नहीं टूटने जा रहा है और इस लिये मैं चाहूंगा कि इस को और कांप्रेहेंसिव बनाने के लिये सेलेक्ट कमेटी में भेजा जाय । जिस रूप में यह विधेयक आया है मैं उस का पूरी ताकत के साथ विरोध करता हूं ।

श्री जगदीश प्रसाद माथुर : उप-सभाध्यक्ष महोदय, बहुत लम्बी चौड़ी बात कहने की गुंजायश नहीं है । मैं ने इस अध्यादेश का विरोध तीन कारणों से किया था । प्रथम, अध्यादेश की आवश्यकता नहीं है । कायदे से विधेयक लाया जाना चाहिए था । मैं ने निवेदन किया था मंत्री महोदय से कि जब बिल को प्रस्तुत करें तो बतायें कि जब से अध्यादेश जारी किया गया, जून से, उस समय से आज तक, जिस दिन यह विधेयक सामने आ रहा है उन्होंने इस अध्यादेश के अंतर्गत क्या कार्यवाही की है । डिस्टर्ब एरिया उन्होंने कहीं-कहीं घोषित किये । पंजाब में किया होगा और वहां पर क्या-क्या कार्यवाही की गयी है इस के तहत, यह मैं समझता हूं कि अपना जवाब देते समय वे इस का स्पष्टीकरण करेंगे जिस से हमें जो संदेह है वह दूर हो सके कि वास्तव में अध्यादेश की आवश्यकता ही नहीं थी ।

दूसरे, मैं ने यह भी कहा था कि मैं इस की भावना से सहमत हूं लेकिन यह विधेयक अपूर्ण है । और इसके लिये दो तीन मुद्दे मैं ने बताये थे । प्रथम, यह कि डिस्टर्ब एरियाज में इस्तेमाल होने वाले जो लाइसेंस्ड आर्म्स हैं और अनलाइसेंस्ड आर्म्स हैं उनका अलगपन

आप ने दिखाया नहीं है । जो लाइसेंस्ड आर्म्स हैं वह तो आप रखवा लेंगे लेकिन अनलाइसेंस्ड आर्म्स जो इस्तेमाल होते हैं डिस्टर्ब ऐरियाज में उन को सरकार को किसी भी आधार पर नहीं रखने देना चाहिए और उस के लिये सजा कड़ी करनी चाहिए थी क्योंकि स्वयं आप ने इस विधेयक में कहा है कि जो डिस्टर्बेंस हो रहे हैं, उपद्रव हो रहे हैं इस लिये इस की आवश्यकता है। तो उपद्रव हो रहे हैं और सब जानते हैं कि भीड़ में कोई आदमी अधिकृत हथियार ले कर लड़ता नहीं है, उन के पास अनधिकृत हथियार ही होते हैं । तो अनधिकृत हथियार जो भी रखते हैं उन के विषय में और अधिक कठोरता बरती जानी चाहिए थी । इसी लिये मैंने इस का विरोध किया था ।

तीसरी बात मैं ने यह कही कि पंजाब में, और आसाम में ऐसे उदाहरण मिले थे कि स्मगल्ड आर्म्स आ रहे हैं बहुत बड़ी संख्या में । जो कस्टम्स ऐक्ट है उस के अलावा स्मगल कर के जो हथियार आते हैं उन की रोकथाम के लिये कोई गुंजायश नहीं है और पंजाब में तो विशेषतौर से देखा गया है कि बड़ी मात्रा में विदेशी हथियारों का उपद्रवकारी इस्तेमाल कर रहे हैं । तो उन की रोकथाम के लिये कोई बात आप ने नहीं की है । तो मेरा निवेदन है कि जो स्मगल्ड आर्म्स हैं और जो इस्तेमाल होते हैं उपद्रव में और खास कर डिस्टर्बड एरियाज में इस्तेमाल होते हैं उन के लिये कठोर से कठोर सजा का प्रावधान किया जाना चाहिए ।

मेरा कहना यह है कि अगर कोई स्मगल्ड आर्म का प्रयोग करता है तो कम से कम उसको 10 साल की सजा होनी चाहिए ।

अन्त में मैंने यह बात कही थी कि जो सार्वजनिक स्थान है उनकी व्याख्या में आपने यह स्पष्ट नहीं किया है कि जो धर्म स्थान है जैसे मंदिर, गुरुद्वारा मस्जिद और चर्च इस प्रकार के स्थानों में कानून में आपका अधिकार है या नहीं? आप कहिये सैद्धान्तिक अधिकार है, लेकिन वास्तविक स्थिति यह है कि पिछले कई सालों से मुजरिम धर्म स्थानों के अन्दर छिपे हुए हैं, हथियार रख रहे हैं, गोलियों से अन्दर मारते हैं, लाशें बाहर मिलती है । आज इस बात की आवश्यकता है कि आप स्पष्ट करें ...

श्री (मौलाना) असरारुल हक (राजस्थान) : कहां मारे गये हैं ? ... (**व्यवधान**)

श्री जगदीश प्रसाद माथुर : नाम आप जानते हैं, मस्जिद में मारे जाते हैं, गुरुद्वारों में मारे जाते हैं ..... (**व्यवधान**) अमृतसर में मारे गये ।...

श्री (मौलाना) असरारुल हक : लाशें अमृतसर में मिली हैं .... (**व्यवधान**)

श्री जगदीश प्रसाद माथुर : मैंने कहा है अमृतसर कहां है । .... (**व्यवधान**)

श्री (मौलाना) असरारुल हक : ईमामबाड़े में मस्जिद में आर्म्स नहीं थे, पटाखे थे । ...(व्यवधान) । गुरुद्वारे में गोली मारी गई, उसका नाम लेने से डरते है ...(**व्यवधान**)

श्री जगदीश प्रसाद माथुर : अगर मौलाना साहब की इच्छा यह है कि

[श्री जगदीश प्रसाद माथुर]

मस्जिद में हथियार रखने की छूट दी जाये तो मैं उससे सहमत नहीं हूं । ... (व्यवधान)

श्री (मौलाना) असरारुल हक : कोई नहीं चाहता ।

श्री जगदीश प्रसाद माथुर : तो फिर जब मैं यह कहता हूं तो आपको इससे क्यों एतराज हुआ । इससे मुझे शक हुआ कि मौलना साहब मस्जिद में हथियार रखने की इजाजत चाहते हैं । आपने बहुत अच्छा किया, आपने सफाई दे दी । .... (**व्यवधान**)

तो मेरा आग्रह यह है कि आज जैसी स्थिति देश में है उसमें लुका-छिपी की बात नहीं रहनी चाहिए । विधेयक के अन्दर प्रावधान होना चाहिए और सार्वजनिक स्थानों में मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे, और चर्च सभी स्थान शामिल होने चाहिए । अगर आप इस में संशोधन नहीं करना चाहते तो मैं चाहूंगा कि मंत्री महोदय सदन के पटल पर अपना जवाब देते समय कहें कि ये धार्मिक स्थान हैं । इसलिये आपसे मैंने यह आग्रह किया है कि इसमें कोई जल्दी नहीं है, आप का अध्यादेश चल रहा है । आप इस को वापिस ले लें और एक अच्छा प्रभावी विधेयक सदन के सामने लायें जिससे कि आपकी आवश्यकताओं की पूर्ति हो सके ।

SHRI NIHAR RANJAN LASKAR: Sir, at the outset, 1 would like to thank all those hon. Members who have participated in this debate. J have recorded all the names of the hon. Members who have participated in the debate. So far, fourteen Members have participated in this very useful debate. In the course of their speeches, naturally, they have made various suggestions which I hav% taken, note af. And- 1 would like to point out here that under the Act itself, we are taking the opportunity to frame rules. When we frame the rules, we will take into consideration the suggestions made by the .hon. Members and try to implement them, whatever is possible.

SHRI SHRIDHAR WASUDEO DHABE: See that sportsmen are exempted.

SHRI NIHAR RANJAN LASKAR: I will see. As 1 said, we have the power, under the Act, to frame rules. And when we frame the rules, definitely, all these suggestions will be taken into consideration and whatever is possible and useful will naturally be included in the rules.

Sir, before I take up the points made by hon. Members, I would" like to say one thing here. This particular amending Bill has to be viewed in its proper perspective. This should be viewed in the context of the overall situation which is prevailing: now in our country. I am talking about the law and order situation. We know what is happening in som,e pails of our country. We should view this amending. Bill in this context. We know that antisocial and anti-national elements are active. Nobody can deny that. They are active in various parts of the country and they are creating problems, creating law and order situations. It is the duty of the Government to see that these anti-national activities are curbed as early as possible. Therefore, Sir, the prime need now is to check proliferation of arms in the country and this can be achieved only by making conditions for acquisition and possession of arms more stringent and, secondly, by making punishment more deterrent. With the deterrent effect that will be there we can improve the situation. The- present amending Bill is directed towards achieving these very objectives.

Two amendments have been suggested here. I would like to take up this amendment first. Shri Ram Naresh Kushwaha has suggested, in fact, to arm everybody. While we are talking of disarming the people, his amendment practically means to arm the people. Also, indirectly he wants liberalisation of our licensing policy;

Liberalisation of licensing policy today for any specific group of society may ;iot be conclusive to maintenance of peace and order. I can suggest to my friend that it may even aggravate the. situation in certain places. On that very basis we are not in a position to accept his amendment. So far as weaker sections are concerned, wherever they are, it is the prime duty of the Government to see that their interest is looked after and we have takei various measures in fnis respect. With the cooperation of all concerned we will be able to look to the interests of the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes and also the weaker sections' of population in our society. So, this amendment cannot be accepted.

The other amendment was, why not ft was one firearm? Instead of three it should be one. In this also some of the hon. Members have asked, what was the criteria for suggesting three firearms for an individual? The logic behind the imposition of a ceiling of three arms is like this. I would like to inform the hon. Members that serious thought and detailed consideration was given to this important issue and it was considered that ceiling of three firearms per licencee would meet the requirements of mosi of the persons, whether it is for self-protection or for crop protection or for spoiling protection. For self-protection an individual may need a revolver or a pisto'. for agricultural safety he may need a gun and for any other sporting activity he :nay-need another type of gun. *(Interrupt cms).* That is for every licencee. Even if he has three licences for three different types of guns, it cannot be for a family. The provisions like this cannot stand the scrutiny of the law. This is dependent upon the requirements of an individual. For example, I May say any individual can have three pistols with him or he can have either one type of category or the other. This view was taken so far as the requirements of an individual were concerned. Also as there is no limit for holding firearms at present we felt that the ceiTmg of three itrearms per licencee was neither high nor low, but strikes a reasonable balance. So, this is the logic for the proposal for having three firearms for an jn-dividual. Therefore, the suggestion of the Members cannot be accepted. *(Interrupt lions).*

SHRI B. SATYANARAYAN REDDY: In a family of five persons if each individual applies for a licence _____

SHRI NIHAR RANJAN LASKAR: The provision is very clear. Any individual can have three licences and he can keep three weapons. So, if there are five persons in a family and if everybody is entitled to have licences, they can keep^ three weopens each. Every individual is free to have three licences provided he is entitled.

4 P.M.

About the demand for referring jt to the Select Committee, we are not in a position to accept it because.. .

श्री शिव चन्द्र झा : इसमें नुकसान क्या होगा ?

SHRI NIHAR RANJAN LASKAR: I will sive the reasons also. For the *faU* lowing reasons I cannot accept it. The present Bill retains all the main features of the ealier Arms (Amendment) Bill, 1981. which was passed by Rajya Stobha. While initiating the debate also, in my initial speech r had referred to this. It was thoroughly discussed in this House. We have kept all its provisions in the present amending Bill. We have added more stringent measures and two new features have been introduced in the present Bill--enhancement of the punishment for various offences and provisions for minimum punishment in respect of some of the offences and inclusion of two new sections which seek to prohibit the pas* session of arms in disturbed areas for specified periods and prohibition on carrying of arms in public places in disturbed area* for specified periods.

i [Shri Nihar Ranjan Laskar]

The Bi!I was passed in 1981 after detailed discussion on 8th September, Even at that time, I think my friend, Mr. Jha, had proposed art identical amendment which was negatived by the House. The Amendment Bill of 1981 was based on a detailed study carried out by *an* expert *group* under the aegis of the Bureau of Police Research and Development and subsequent consultation with the Ministry of Law. We also had discussions with that Ministry. After the passage of the Bill in the Rajya Sabha, during the time It was pending before the Lok Sabha j consultations were held with Members of Parliament. Various Members of Parliament weri consulted and we have taken their views also. Not only that, other eminent people connected with the administration of law and order, arms and justice have also been consulted in between this period. The Government also had before it the wide ranging recommendations mads by the National Police Commission about the amendments in the Arms Law.

So you can sec that Government have taken all precautions to consult the various people who are legitimately connected with this. Also we have consulted a very wide range of public opinion and taken into consideration the views of experts. Therefore, no useful purpose will be served by referring this Bjll again to the Select Committee.

.'. SHRJ AJIT KUMAR SHARMA. So opinion of Lok Sabha Members was not necessary at all after consulting all these experts.

SHRI NIHAR RANJAN LASKAR: Not Lok Sabha Members. We have consulted our Members of Parliament. That means Members of both the Houses and not Lok Sabha alone.

SHRI AJIT KUMAR SHARMA: Individual Members can not mean Lok Sabha.

SHRI NIHAR RANJAN LASKAR; So this also we are not in a position to *accept.*

One more point. I think some of the friends were raising the point why 45 days' time was given to the police, and there may be some misuse. One suggestion was also put that this can be misused by police because the people may bribe the polnice so that they may not end the report. We will see to it that this is not done. We will frame rules and we will see to it. After all, the police officer is als« answerable why he was not in a position to give the report to the magistrate or the executive officer within the specified time. If he is supposed to do it, he must explain why he was not able to do it. We will see to that also.

Another point was raised by Mr. Dincsh Goswami. He is not here. His contention was as if the Government is taking away arms from the persons who have excess arms beyond three. It is not a fact. It will be just kept with the police Or any other agency and the licensee is entitled to sell. We are not also providing a time limit for that. They have the time to dispose of arms deposited. The only provision we are making is for 45 days notice to be given so that the antecedents of the person with whom he is dealing and where he is likely to sell it can be known.

About sportsmen, 1 have already assured the other House and I would like ■ to assure this House and the concerned people that we will see that under the rules that we make and under the Ad certain provisions are made whereundc some category of people will be exempted. And in these exemptions, tfii> category will also come. We will see that in regard to arms in museum Bad also antiques and other obsolete and decorative arms, if there are any, cure will be taken about them under the provisions of the Act or under the rules.

These are soint of the points that they have raised and I think I have answered" all of them.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI R. R. MORARKA): I shall first put the Resolution to vote. The question is:

"That, this House disapproves the Arms (Amendment) Ordinance. 1983 (No. 4 of 1983) promulgated by the President on the 22jid June, 1983."

The motion was negatived.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI R. R. MORARKA)-. Now I shall put the amendment of Shri Shiva Chandra Jha to rote. The question is:

"That the Bill further to amend the Arms Act, 1959, be referred to a Select Committee of the Rajya Sabha consisting of the following members, namely:—

1. Shri R. R. Morarka
2. Shri Biswa Goswami
3. Shri Shridhar Wasudeo Dhabe
4. Prof. Sourendra Bhattacharjee
5. Shri G. C. Bhattacharya
6. Shri Suraj Prasad
7. Shri Rameshwar Singh
8. Shri Nepaldev Bhattacharya
9. Shri Djpen Ghosh
10. Shri Hari Shankar Bhabhra
11. Shri Kalraj Mishra
12. Shrimati Mohiader Kaur
13. Shri Shiva Chandra Jha

with instructions to report by the first week of the next Session."

The motion was negatived.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI R. R. MORARKA); I shall now put the amendment of Shri Suraj Prasad to vote. The question is:

"That the Bill further to amend the Arms Act, 1959, be referred to a Select Committee of the Rajya Sabha consisting of the following members, namely:—

1. Shri Shiva Chandra Jha
2. Dr. Mahabir Prasad
3. Dr. Bhai Mahavir
4. Shri Rameshwar Singh
5. Shri Satya Pal Malik
6. Shri Ramanand Yadav
7. Shri Usha Malhotra
8. Shri Suraj Prasad
9. Shri Dipen Ghosh

with instructions to report by the first week of the next Session."

The motion was negatived.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI R. R. MORARKA); Now I shall put the motion moved by the hon. Minister, Shri Nihar Ranjan Laskar to vote. The question is;

"That the Bill further to amend the Arms Act, 1959, as passed by LolC Sabha, be taken into consideration.'*

The motion was adopted.

THE VICE-CHAIRMAN: (SHRI R...R. MORARKA); We shall now take up clause--by-clause consideration of the Bill.

Clause 2 *was added to the Bill. Clause* 3

(Amendment of Section 3) .

SHRI SURAJ PRASAD: I move;

"That at page 1, line 16 for tn.c word 'three' tie word 'one' be *substituted."*

"No person, other than a person referred to in sub-section (3), shall acquire, have in his possession or carry, at any time, more than three firearms."

[श्री सूरज प्रसाद]

इस में मैं चाहता हूं कि जहां 3 है, उसके स्थान पर 1 रखा जाय। मैं कहना चाहता हूं कि····

The question was proposed.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI R. R. MORARKA): You have already said. You have made your speech. Now you have moved your amendment. I will put the amendment to vote.

The question is;

1. "That at page 1, line 16 for the word three the word one be substituted."

The motion was negatived.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI R. R. MORARKA): Now, the question is:

"That clause 3 stand part of the Bill."

The motion was adopted.

Clause 3 was *added to the Bill.*

Clause 4 *and* 5 was *added to the Bill.*

Clause 6 *(Amendment of Section* 13)

SHRI SURAJ PRASAD: I move:

2. "That at page 3, line 6 for the words 'the prescribed time" the words "ione month" be *substituted."*

महोदय, इस में यह है कि पुलिस के यहां दरख्वास्त दी जायेगी। लाइसेंस के लिये जब दरख्वास्त दी जायेगी तो पुलिस को रिपोर्ट देनी होगी प्रिस्क्राइब्ड टाइम में। यह प्रिस्क्राइब्ड टाइम इस में मेंशन नहीं है। आमतौर पर हम देखते हैं पुलिस कई आदमियों की रिपोर्ट भेजती ही नहीं है। इसलिये मैं चाहता हूं कि इस के लिये एक समय निश्चित किया जाये जिसके अंदर पुलिस अपनी रिपोर्ट दे दे। इसलिये जहां लिखा हुआ है प्रिस्काइब्ड टाइम, उसके स्थान पर वन मन्थ रखा जाय।

The question was proposed.

SHRI NIHAR RANJAN IASKAR: Sir, only one thing I would like to say. Only in some specific and very limited cases this provision will be applied. The police will have to be given this power. Under certain contingencies if the officer fails to give the report, then only this provision will apply. I can assure the hon. Member and the House that only in exceptional cases this will be applied.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI R. R. MORARKA): The question is:—

2. 'That at page 3, line 6 for the words 'the prescribed time' the words one month be substituted."

The motion was negatived.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI R. R. MORARKA); The question is:—

"That Clause 6 stand part of the Bill."

The motion was adopted. Clause 6 *was added to the Bill.*

Clause 7 Insertion of new sections 24-A and 24B

SHRI RAM NARESH KUSHAWAHA: Sir, I move:—

3. "That at page 4, after line 46 the following proviso be inserted, namely:-

'Provided that such arms shall not include hand-made arms".

मान्यवर, मैंने यह अमन्डमेंट इसलिये रखा है कि सुविधायें प्राप्त वर्ग को वैध और अवैध हथियार देने का प्रबन्ध सरकार ने किया है और जो असुविधा प्राप्त हैं हरिजन आदिवासी और पिछड़े वर्ग उसको न तो वैध हथियार मिल सकता है और अगर आप देना भी चाहें तो भी वह खरीद नहीं सकता है और अवैध हथियार तो वह रख ही नहीं सकता क्योंकि न तो उसका कोई अधिकार है न कोई नेता है और न सरकार में कोई

संरक्षण है लेकिन सुविधा प्राप्त वर्ग के पास ये सारी चीजें हैं जिसका नतीजा यह है कि एक तरफा वार होता है । एक तरफ भूखे भेडियों के सामने इन निहत्थे गरीबों को छोड़ दिया गया है लूट लेने के लिये, घर फूंक देने के लिये, उजाड देने के लिये, बलात्कार करने के लिये जो जो भी वह कुकर्म कर सके लेकिन यह कमजोर वर्ग उनका मुकाबला न कर सके । पुलिस तो करती नहीं सरकार सुरक्षा देती नहीं और उनके हाथ में कोई हथियार नहीं दे रही है । जिससे वे अपनी रक्षा कर सकें ।

The motion was proposed.

SHRI NIHAR RANJAN LASKAR: There is no distinction that we are making here. Everybody is entitled to have three firearms. We are not making any distinction or discrimination in regard to Scheduled Castes and Scheduled Tribes. Nothing like that..,

(व्यवधान)

श्री राम नरेश कुशवाहा : कलेक्टर नहीं देगा (**व्यवधान**) आप दे ही नहीं सकते किसी गरीब आदमी को और अगर दे भी दें तो वह खरीद ही नहीं सकेगा । दोनों बातें हैं क्योंकि आपके हथियार इतने मंहगे हैं कि वह खरीद भी नहीं सकता आप उनको दे भी नहीं सकते मान्यवर, जरा यह बता दीजिये कि आपने कितने आदिवासियों को हथियार दिलायें हैं ।

SHRI NIHAR RANJAN LASKAR: He is suggesting indirectly . . *(.interruptions).* That is not the policy of the Government.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI R. R. MORARKA): The question is:—

3. "That at page 4, after line 46 the following proviso be inserted, namely—

Provided that such arms shall not include hand-made arms."

The motion was negatived.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI R. R. MORARKA); The question is:—

"That Clause 7 stand part of the Bill."

The motion was adopted.

Clause 7 was added to the Bill.

Clauses 8 *to* 17 *were added to the Bill.*

Clause 1, *the Enacting Formula and the Title were added to the Bill.*

SHRI NIHAR RANJAN LASKAR: Sir, I move:—

"That the Bill he passed."

The question was proposed.

SHRI AMARPROSAD CHAKRABORTY (West Bengal): Sir, I only draw the attention of the Minister, the Government must take some sort of prohibitive measure because possession of three firearms by a« individual may create a serjous situation. I have got a family of 40 members and I can have 120 arms. It will be fantastic. So, the rule-making power cannot override the statute. The Minister said we have got the rule-making power and in the rule we shall try to restrict it. I hope the Minister will try to keep the language in such a way that at least some restriction is put so that the authorities may not give three arms at a time to one individual.

SHRI NIHAR RANJAN LASKAR: We shall look into the suggestion.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI R. R. MORARKA): The question is—

"77m/ *the. Bill be passed."*

The motion was adopted.